ह. स. कं. क.

HSCC

२६वीं वार्षिक रिपोर्ट
2008-09

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

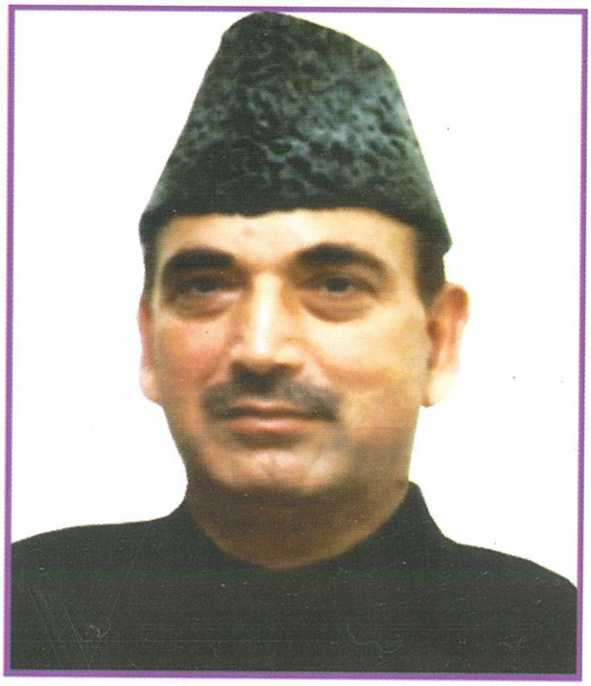

श्री गुलाम नबी आज़ाद

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य

एवं

परिवार कल्याण मंत्री

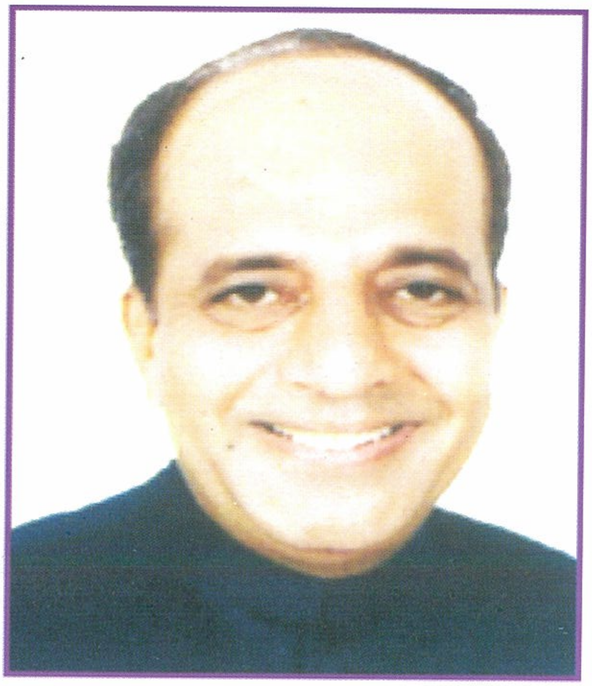

श्री दिनेश त्रिवेदी

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य

एवं

परिवार कल्याण राज्य मंत्री

श्री एस. गाँधीसेल्वन

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य

एवं

परिवार कल्याण राज्य मंत्री

सभा निदेशक

श्री वी. सी. शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

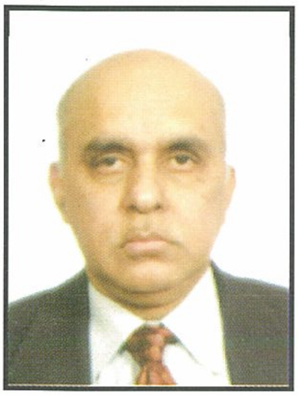

श्री नावेद मसूद
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डा. आर. एस. शुक्ला
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

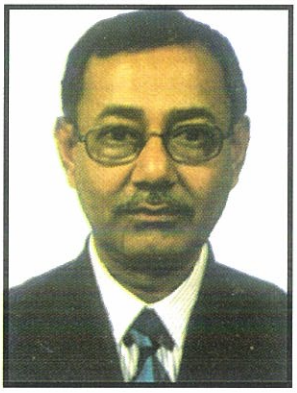

डा. एस. एन. पाल
निदेशक (इंजीनियरिंग)

विषय-सूची

एच एस सी सी के कार्यालय	2
निदेशक मण्डल	3
अध्यक्ष महोदय का भाषण	4
दृष्टि, उद्देश्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन, कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति	6
सेवा वर्णक्रम	7
वित्तीय सारांश	8
कार्य निष्पादन पर एक नजर	9
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	10
सचिवालय लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र	23
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	30
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	31
31.03.2009 को तुलन पत्र	36
31.03.2009 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा	37
अनुसुचियां 1 - 12	38
लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां	45
लेखों पर टिप्पणियां	48

एच एस सी सी के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (द्वितीय तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट न. 4, डी. डी. ए. - एल. एस. सी., सेंटर - II
वसुंधरा इन्कलेव,
दिल्ली - 110 096

कारपोरेट कार्यालय :

ई - 6 (ए), सैक्टर - 1 ,
नौएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश)

अन्य एकक कार्यालय :

कारोबार एकक - प्रापण
कृभको भवन, चतुर्थ तल
सैक्टर - 1
नौएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश)

प्रमुख साइट कार्यालय

1. बीर अस्पताल हेतु ट्राउमा सेंटर, काठमांडू, नेपाल
2. उत्तर पूर्वी इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलौंग
3. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडीसिन, बैंगलूर
4. प्रयोगशाला एवं पशु-आलय - क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रुगढ़
5. लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबंद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली
6. वर्द्धमान महावीर मेडिकल कालेज, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
7. स्पोर्टस इंजरी सेन्टर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
8. माइक्रोबॉयल कन्टेन्मैंट कम्पलैक्स, आई.सी.एम.आर. पूणे हेतु बी. एस. एल. - 4 की प्रयोगशाला
9. संजय गांधी स्नात्तकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ
10. कोलकता मेडिकल कॉलेज, कोलकता
11. निज़ाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हैदराबाद
12. एम्स समानार्थी संस्थान हेतु हाऊसिंग कम्पलैक्स, रायपुर
13. एम्स समानार्थी संस्थान हेतु हाऊसिंग कम्पलैक्स, भुवनेश्वर

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री वी. सी. शर्मा

निदेशक

श्री नावेद मसूद

डा. आर. एस. शुक्ला (29.07.2008 से)

डा. एस. एन. पाल, निदेशक (इंजीनियरिंग)

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं कम्पनी सचिव

श्री ए. के. अग्रवाल

वरिष्ठ कार्यकारी

श्री संजीव सूद	- कार्यकारी निदेशक (वास्तु., डिजाइन एवं परियोजना वर्ग - II)
श्री पी. के. सिंघल	- कार्यकारी निदेशक (प्रापण एवं परियोजना वर्ग - I)
श्री ए. के. अग्रवाल	- कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) - मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री जी. पाण्डेय	- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना वर्ग - II)
श्री डी. आर. नूना	- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन एवं विधि) - सार्वजनिक सूचना अधिकारी
श्री एस. के. माथुर	- मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
श्री एस. ए. उस्मानी	- महाप्रबंधक (परियोजना वर्ग - III)
श्री जे. पी. बहल	- महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
श्री आर. के. खैतान	- महाप्रबंधक (वास्तु.)
श्री आर. एस. रैना	- महाप्रबंधक (परियोजना वर्ग - I)
श्री अनिल कुमार	- महाप्रबंधक (परियोजना वर्ग - III)
श्री वी. वी. गोविन्दा राव	- महाप्रबंधक (सिविल)
डा. नीरजा एल. सेठी	- महाप्रबंधक (वास्तु.)

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स ओ. पी. बागला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
8 / 12, कालका जी एक्सटेंशन,
नई दिल्ली - 110 019

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स डी. डी. बंसल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
एम - 304, धर्मा अपार्टमेंट ,
2, इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन ,
नई दिल्ली - 110 092

सचिवालीय लेखा परीक्षक

मैसर्स हरबंस लाल एंड कम्पनी
59 / 1, जनक पैलेस,
न्यू मार्किट (नजदीक लिबर्टी सिनेमा)
न्यू रोहतक रोड़,
नई दिल्ली - 110 005

बैंकर्स

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
कॉरपोरेशन बैंक

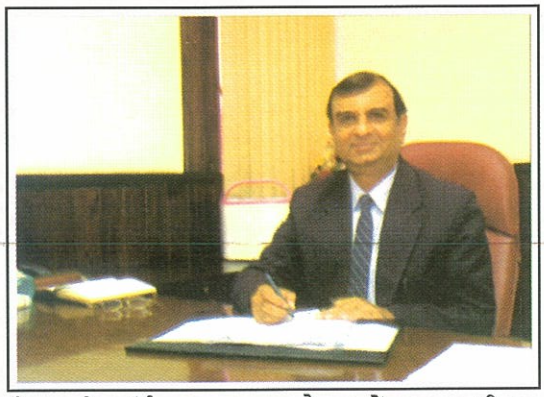

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से

प्यारे अंशधारकों,

मुझे अपनी ओर से तथा निदेशक मण्डल की ओर से आपकी कम्पनी की 26वीं वार्षिक आम सभा बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। आपकी उपस्थिति हमारे आत्म-विश्वास के स्तर को बढ़ाकर, हमें आपकी उम्मीदों को पूरा करने का संकल्प प्रदान करती है। आपकी कम्पनी की 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ निदेशकों की रिपोर्ट, आडिट किये गये वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपकी आज्ञा से मुझे आपके सम्मुख रखने का शौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मुझे यह सूचित करते हुये अपार हर्ष हो रहा है कि आपकी कम्पनी समस्त क्षेत्रों एवं कार्यकलापों में निरन्तर प्रगति कर रही है तथा पिछले वर्ष की कुल आय 3096 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष 3273 लाख रूपये का अधिकतम लाभ हुआ है। गत वर्ष में कर पश्चात लाभ (Profit After Tax – P A T) 836 लाख रूपये से बढ़कर 970 लाख रूपये हो गया है। मुझे खुशी है कि कम्पनी की रिजर्व एवं सरप्लस पूँजी हर बार की तरह बढ़कर 6341 लाख रूपये तथा निवल मान हर बार की तरह बढ़कर 6581 लाख रूपये हो गया है। कम्पनी की प्रति कर्मचारी अनुपात दर बढ़कर 23.55 लाख रूपये हो गई है जोकि वह भी पिछले दसकों के मुकाबले अधिक है।

अच्छी वित्तीय उपलब्धियों एवं परिणामों के कारण, निदेशक मण्डल ने वर्ष 2008-09 हेतु 208.02 लाख रूपये राशि के 86.67 % लाभांश की संस्तुति की है। जबसे एच एस सी सी का सुत्रपात हुआ है, तब से संचयी लाभांश 1944.52 लाख रूपये पर स्थिर है। कम्पनी पिछले 24 वर्षों से लगातार लाभप्रद रहकर लाभांश दे रही है। सितम्बर, 1999 से एच एस सी सी लगातार **मीनि रत्न** होने की उपाधि को बनाये हुये है। तदनुसार, यह संभावना की जा रही है कि वर्ष 2008-09 के लिये भी, समझौता ज्ञापन (M O U) मूल्याकंन अनुसार एच एस सी सी को **स्वंश्रेष्ठ** (Excellent) होने का दर्जा मिलेगा।

यहां यह उल्लिखित करना आवश्यक नहीं कि लोक उधम विभाग (Department of Public Enterprises – D P E) के मार्गदर्शी निर्देशानुसार आई डी ए (I D A) कर्मचारियों के हितार्थ, उपरोक्त लाभ 2nd वेतन आयोग की सिफारिशों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के कारण ही संभव हो पाया है। इन अच्छे परिणामों का कारण कर्मचारियों और कम्पनी के बीच अभिप्रेरित भावना को दर्शाता है जिससे कम्पनी बाहर मार्किट में संबंधित क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को आकृषित करने में कामयाब होती है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारत एवं विदेश में विभिन्न उत्कृष्ट परियोजनाओं में परामर्श-सेवा प्रदान करने हेतु डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिक्लस, प्रोजैक्ट मैंनेजमैंट एवं मेडिकल उपस्करों का प्रापण संबंधी कार्य लिया है। विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिये अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं विस्तार तथा ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देनी पड़ती है। वर्ष के दौरान एच एस सी सी ने विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित परियोजनाएं भी प्राप्त की हैं जैसे; नोर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आर्युर्वेद एवं हौम्योपेथी, शिलौंग, लोक-प्रिय बारदोलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, स्पोटस इंजरी सेन्टर, दिल्ली, क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल, पोर्ट-ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report – D P R) तैयार करना इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, एक जिम्मेदार कॉरपोरेट विधमानता के नाते कम्पनी ने अच्छी कॉरपोरेट संचालन पद्धति, समस्त कार्यकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उचित प्रकटीकरण का समावेश किया है। रिर्पोटिंग के स्तरों को कम-से-कम एवं कार्य-पद्धतियों को सरलीकरण करने हेतु प्रयास जारी हैं। मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी पॉलिसियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ज्ञान प्रबंधन सिस्टम, ई-टेंडररींग, ई-प्रोक्योरमैंट, आन्तरिक-एवं-समवर्ती लेखापरीक्षा इत्यादि को मजबूत बनाया जा रहा है। मैं अपने सम्मानित अंश-धारकों को सूचित करना चाहूँगा कि हमारी कारोबारी परियोजनाएं नोर्थ-ईस्ट में स्थानान्तरित हो रही हैं। यह सम्मिलन समयोचित काल में / लम्बे समय के लिये टर्न-ओवर को अधिक-से-अधिक फैलाने में कारगर सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, कई कारणों से हमारा प्रापण कारोबार संकुचन सीमा चक्र गुजर रहा है जिससे आगामी वर्षों में हमारा टर्न-ओवर प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे सभी कार्यकलापों में तेजी से कारोबारी टर्न-ओवर को बढ़ाने के लिये कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं सम्मानित बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स और सरकारी एजेन्सियों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे उनके बहूमूल्य मार्गदर्शन एवं निरन्तर सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सम्मानित ग्राहकों, विदेश मंत्रालय तथा अन्य कारोबारी एसोसिएट्स को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें निरन्तर समन्वय एवं सहयोग दिया है। कम्पनी की उन्नति के लिये हर स्तर पर समर्पित एवं टीम-स्प्रीट भावना से किये गये कार्यों, प्रयासों एवं बहुमूल्य योगदान के लिये मैं प्रबंधन टीम एवं कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कम्पनी इसी तरह निरन्तर निष्ठा से काम करते हुए ग्राहकों का भरोसा बनाये रखेगी एवं आने वाली चुनौतियों का सामना करती रहेगी।

आने वाले समय में भी कम्पनी इसी तरह, ग्राहकों की संतुष्टी एवं विश्वास बनाये रखते हुये सदैव विश्व-स्तरीय गुणवत्ता परामर्शी सेवाएं प्रदान करती रहेगी।

धन्यवाद,

(वी. सी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नई दिल्ली
17 सितम्बर, 2009

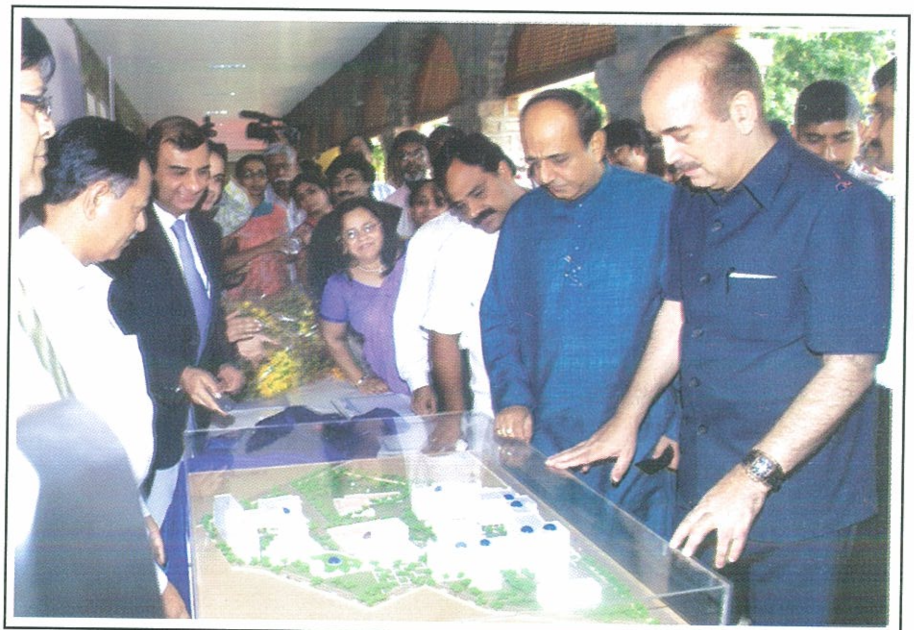

दिनांक 30.07.2009 को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (NICD) के शताब्दी - समारोह के अवसर पर एच एस सी सी (HSCC) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द (NCDC), नई दिल्ली का मॉडल को देखते हुये केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री गुलाम नबी आज़ाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री दिनेश त्रिवेदी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री एस. गाँधीसेल्वन।

दृष्टि

" भारत एवं ओवरसीज देशों में हैल्थकेयर से जुडी मूल्य-वर्द्धित, समन्वित एवं नवीनतम सेवाओं को उपलब्ध करवा कर इसके विद्धवान संव्यवसायिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न इन्फ्रास्टक्चर परियोजनाओं में बल-वर्द्धक एवं कुशलतम कार्य-संस्कृति का निर्माण करनी वाली प्रमुख कम्पनी के रूप में जाना जाये। "

उद्देश्य

" भारत एवं ओवरसीज देशों में भवनों का निर्माण एवं विकास तथा हैल्थकेयर एवं संबंधित अन्य क्षेत्रों में परामर्शदायी संबंधी सेवाओं तथा व्यापक संकल्पना, प्रोजैक्ट परियोजना, वास्तुविद्ध, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण संबंधित कार्यों के विद्धता-पूर्वक ढांचे को उपलब्ध करना। "

कॉरपोरेट मूल्यांकन

- ग्राहकों की मूल्यवृद्धि पर विशेष ध्यान देना
- संगठन के अन्दर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना
- विद्धता संगठन का सर्जन करना
- टीम-स्प्रीट - को अपनाकर हमारे समस्त कार्यकलापों को योग्य बनाना

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कर्ष परामर्शी सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहक के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना ।

कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा का दृश्य

सेवा वर्णक्रम

संकल्पनात्मक शिक्षण एवं प्रबंधन परामर्श

- पुर्नवास आधारभूत सर्वेक्षण एवं अर्थशास्त्र शिक्षण
- जानपदिक सर्वेक्षण
- निकाय योजना
- साध्यता शिक्षण
- पुनर्निमाण / पुनर्गठन शिक्षण
- मूल्यांकन शिक्षण

अभियांत्रिक शिक्षण

- नवरूपण / पूनर्वास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता / कार्यकुशलता संशोधन

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- प्रमुख डिजाइन
- वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
- अभियांत्रिक डिजाइन
- उपस्कर योजना
- व्यर्थ प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना योजना तथा कार्य का पुरस्कार
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- ठेकों का प्रशासन
- वित्तिय नियंत्रण

प्रापण

- औषधियां एवं दवाईयां
- मेडिकल उपस्कर
- अन्य उपस्कर
- संचार माध्यम
- उपयंत्र
- फर्नीचर एवं जुड़नार

लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेषण
- साईट वितरण
- स्थापना
- जांच-पड़ताल / चालू करना
- प्रशिक्षण

सूचना तकनीकी

- स्वास्थ्य एम आई एस
- कार्यप्रणाली समाकलन

वित्तीय सारांश

इस दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	40.00	40.00	40.00	40.00	160.01	160.01	160.01	160.01	160.01	240.02
आरक्षित एवं सरप्लस	751.55	1341.72	2175.97	2851.56	3521.68	3838.32	4553.54	5111.10	5694.58	6341.13
निवल मान	791.55	1381.72	2215.97	2891.56	3681.69	3998.33	4713.55	5271.11	5854.59	6581.15
कुल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	339.17	347.50	432.29	399.39	363.22	335.84	748.96	726.96	707.32	675.46
कार्यशील पूंजी	452.38	1034.22	1783.68	2508.12	3320.63	3630.87	3901.10	4454.90	5105.34	5811.12
लगाई गई पूंजी	791.55	1381.72	2215.97	2907.51	3683.85	3998.33	4713.55	5271.11	5854.59	6581.15
परिचालन आंकड़े										
परामर्श शुल्क	820.96	1013.62	1507.06	1724.33	2009.67	1078.48	1845.46	1677.53	1740.45	1936.39
ब्याज और अन्य आय	590.76	755.87	837.83	674.56	558.31	562.06	784.86	845.40	1355.89	1336.67
कुल आय (कारोबार)	1411.72	1769.49	2344.89	2398.89	2567.98	1640.54	2630.32	2522.93	3096.34	3273.06
व्यय	562.45	524.93	711.06	872.36	868.06	925.01	1115.15	1223.59	1711.33	1696.36
सकल लाभ	849.27	1244.56	1633.83	1526.53	1699.92	715.53	1515.17	1299.34	1385.01	1576.70
मूल्यह्रास	45.78	51.46	59.14	59.76	50.17	39.98	41.63	45.03	45.37	43.69
कर पूर्व लाभ	831.45	1233.08	1623.26	1467.81	1649.75	675.55	1473.54	1254.31	1339.64	1533.01
कर पश्चात लाभ	432.71	758.11	1044.26	936.49	1027.71	417.53	961.53	797.83	836.42	969.93
लाभांश	88.00	152.40	210.01	210.01	210.01	88.01	216.02	208.02	208.02	208.02
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में) (नियमित वेतनमानों पर)	94	100	120	121	120	125	133	130	132	139
अनुपात										
पी बी टी / आय (प्रतिशत)	58.90	69.69	69.23	61.19	64.24	41.18	56.02	49.72	43.27	46.84
शुद्ध लाभ / आय (प्रतिशत)	30.65	42.84	44.53	39.04	40.02	25.45	36.56	31.62	27.01	29.63
निवल लाभ / निवल मान (प्रतिशत)	54.67	54.87	47.12	32.39	27.91	10.44	20.40	15.14	14.29	14.74
प्रति कर्मचारी अर्जन	15.02	17.69	19.54	19.83	21.40	13.12	19.78	19.41	23.46	23.55

कार्य निष्पादन पर एक नजर

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आय	1641	2630	2523	3096	3273
कर पूर्व लाभ	676	1474	1254	1340	1533
निवल लाभ	418	962	798	836	970
लाभांश	88	216	208	208	208
कुल आर्डर-बुक (शुल्क)	2772	2949	2568	1926	3425
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि-निर्धारण	अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट

आय (लाख रुपये में)

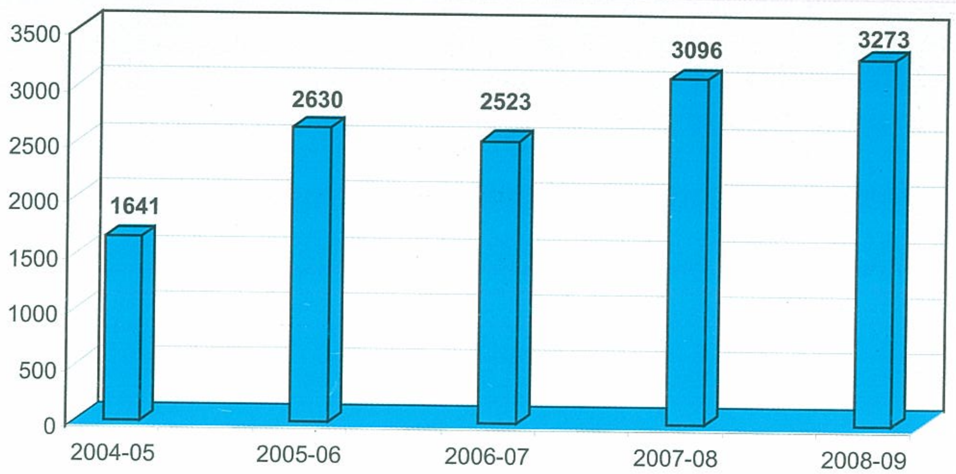

निवल मान (लाख रुपये में)

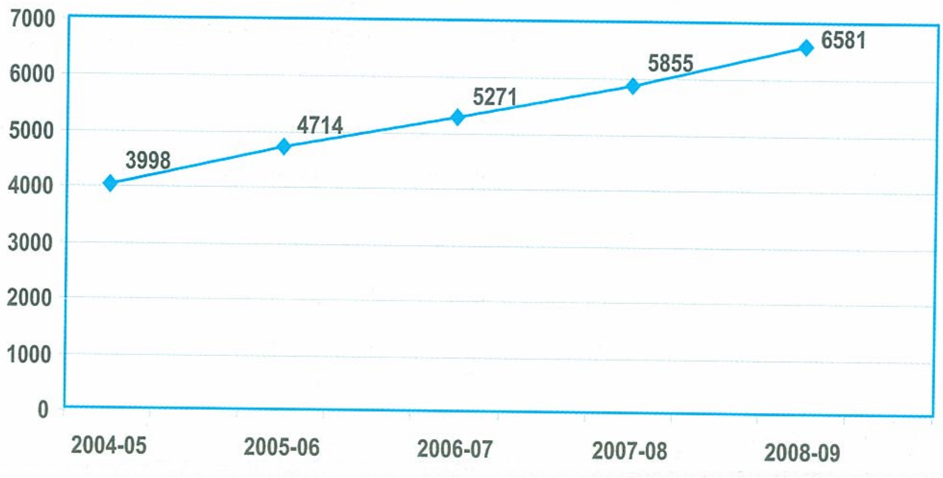

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सेवामें,

अंशधारकों,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों और प्रचालन से संबंधित 26वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विशेषताएँ

कम्पनी का कारोबार बढ़कर 3273 लाख रूपये हो गया है। वर्ष 2008-09 के समस्त वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है जो कम्पनी की ठोस एवं स्वस्थ स्थिति को दर्शाते हैं : -

(लाख रूपये में)

विवरण	2008-09	2007-2008
सकल आय	3273.06	3096.34
सकल व्यय	1696.36	1711.23
सकल लाभ	**1576.70**	**1385.01**
मूल्यह्रास	43.69	45.37
कर पूर्व लाभ	**1533.01**	**1339.64**
कराधान (निवल)	563.08	503.22
कर पश्चात लाभ	**969.93**	**836.42**
लाभांश	208.02	208.02
निवल मान	**6581.15**	**5854.59**

पूंजीगत ढांचा

वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 लाख रुपये से बढ़कर 500 लाख रुपये हो गई है, कंपनी ने 80 लाख रुपये के 2:1 के अनुपात से बोनस शेयर जारी किये हैं जिससे प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 160.01 लाख रुपये से 240.01 लाख रुपये हो गई है।

दिनांक 30.03.2009 को कम्पनी के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय श्री नरेश दयाल, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को बोनस शेयर सर्टीफिकेट प्रस्तुत करते हुये अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी. सी. शर्मा

लाभांश

निदेशकों ने प्रदत्त शेयरपूंजी पर @86.67% की दर से कम्पनी के सकल लाभ का 208.02 की राशि संतुति की है। यह वार्षिक आम सभा बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिफारिशों अनुसार 21.44 % पूर्व कर लाभ से अधिक लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी निरंतर 24 वर्षों से लाभांश की घोषणा करती आ रही है तथा वर्ष 2008-09 तक संचयी लाभांश 1944.52 लाख रूपये था।

सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन

लाभांश और आयकर के लिए प्रावधान रखने के बाद निदेशक मण्डल ने लाभ एवं हानि खाते में लिखे शुद्ध लाभ में से 200 लाख रुपये (गत वर्ष 200 लाख रुपये) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की सिफारिश की और इस प्रकार पिछले वर्ष तक के 3938.97 लाख रुपये शामिल करने के बाद कुल सरप्लस 4465.53 लाख रुपये हो गया है। सरप्लस के अलावा 31.03.2009 तक संचयी सामान्य आरक्षित निधि 6341.13 लाख रुपये (गत वर्ष 5694.58 लाख रूपये) हो गयी है।

निष्पादित विशेषताएँ

आपकी कम्पनी के निदेशक यह सहर्ष सूचित करते हैं कि कम्पनी ने अपने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है तथा निरन्तर प्रगतिशील बनी हुई है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, कम्पनी को कुछेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए परामर्षी एवं परियोजना में प्रबंध सेवाएं प्रदान करने का काम तथा साथ ही डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयां एवं औषधि इत्यादि का भी काम मिला। एच एस सी सी इस समय जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसकी सूची अनुबन्ध - I में दर्शायी गई है।

अपनी सेवाओं को विस्तृत करने हेतु कम्पनी द्वारा विभिन्न कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। अपितु, कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये तकनीकी क्षेत्रों में उच्च डिग्री प्राप्त कुछेक विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा रही है।

समझौता - ज्ञापन

कम्पनी पिछले एक दसक से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कम्पनी अच्छे परिणमों के लिये वर्ष 2007-08 हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा " **सर्वश्रेष्ठ** " आंकी गई है तथा आशा है वर्ष 2008-09 में अच्छे परिणामों के आधार पर कम्पनी " **सर्वश्रेष्ठ** " आंकी जाये।

दिनांक 30.03.2009 को माननीय श्री नरेश दयाल, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी. सी. शर्मा, एच एस सी सी (HSCC) के अन्य निदेशकों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में, वर्ष 2009-10 हेतु कम्पनी के निर्धारित निष्पादन प्राचलों हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) को आदान-प्रदान करते हुये

विदेशी मुद्रा का विवरण

खर्चे

(लाखों में रूपये)

विवरण	2008-2009	2007-2008
यात्रा	1.39	0.06
सी. आई. एफ. आधार पर पूंजीगत माल पर आयात (ग्राहकों की ओर से)	849.64	225.99

आय

फिर भी, वर्ष के दौरान कम्पनी की विदेशी मुद्रा में शुन्य आय हुई है। (गत वर्ष शुन्य)

मानव संसाधन

किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होती है। कंपनी में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 139 कर्मचारी नियमित वेतनमान थे तथा जिनमें 34 कर्मचारी अस्थायी थे जिसमें से 40 कर्मचारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकंलाग वर्ग के हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द-पूर्ण ताल-मेल बना रहा है।

वर्ष के दौरान मानव संसाधन के बेहतरीन प्रयोग तथा उसमें और अधिक उन्नति के लिये निरन्तर प्रयास जारी हैं। उत्पादकता में और अधिक वृद्धि एवं उन्नति के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनका विकास किया जा रहा है। वर्तमान में, तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से आ रहे बदलावों के कारण आधुनिक टैक्नोलॉजी को अपनाकर कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने, ज्ञान एवं दक्षता के उपयोग के संबंध में अधिक-से-अधिक उत्पादकता एवं लाभप्रदता की प्राप्ति हेतु उच्चतम लाभ पाने के लिये कार्य-प्रणाली और टीम-बिल्डींग का निर्माण किया गया है। वर्ष के दौरान, कम्पनी अपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य-क्षमता में बढ़ोतरी और उसमें वृद्धि एवं विकास के लिये कम्पनी अपने कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है।

दिनांक 01.05.2009 आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह का दृश्य

कल्याण कार्यक्रम

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनकी फैमली के लिये विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों एवं हित-लाभ, पारिवारिक मेल-मिलाप, पिकनिक, वार्षिक दिवस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

दिनांक 17.01.2009 को आयोजित पारिवारिक मेल-मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर एच एस सी सी (HSCC) कर्मचारियों का परिवार एवं उनके सदस्य

दिनांक 15.08.2008 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री बी. सी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच एस सी सी (HSCC) कर्मचारियों को सम्बोद्धित करते हुये

निगमित सामाजिक दायित्व

कम्पनी हैल्थ-केयर कार्यों से जुड़ी हुई है, उसके समस्त कार्यकलाप एंव प्रचालन संबंधी कार्य सीधे तौर पर सामाजिक उत्तरदायित्वों से जुड़े हुये हैं। अतः कम्पनी इस दिशा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांगों के उत्थान से संबंधित सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है।

राजभाषा की उन्नति एवं कार्यान्वयन

वर्ष 2008-09 के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को दैनिक कार्यालयी काम-काज

दिनांक 26.09.2008 को एच एस सी सी (HSCC) में मनाये गये हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर (बायें से दायें) श्री प्रेम दत्त शर्मा, मुख्य अधिकारी (राजभाषा), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री डी. आर. नूना, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन एवं विधि) एच एस सी सी, श्रीमती रवीन्द्र नारंग, निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारियों को सम्बोद्धित करते हुये

हिन्दी में करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। समस्त मानक फार्म / प्रपत्र इत्यादि द्विभाषी रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं। कार्यालयी पत्राचार, नोटिंग और ड्राफिंग अधिक से अधिक हिन्दी में करने के लिये महत्वपूर्ण कारगर कदम उठाये गये हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। हिन्दी में उत्साहवर्द्धक काम करने के उद्देश्य से कम्पनी में 14.09.2008 से 28.09.2008 के दौरान **हिन्दी पखवाड़ा** मनाया गया है। इसके अलावा, कम्पनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा** इकाई की सदस्य भी है, जिसके तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, संगोष्ठियों इत्यादि में प्रतिनिधित्व भी करती है।

सतर्कता

यह कम्पनी एक छोटी परामर्शदायी संगठन है, इसलिए कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) अशं-कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेजमैंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। प्रभावी नियंत्रण हेतु, जैसे ; समवर्ती एवं आंतरिक लेखा, आर.टी.जी.एस. (RTGS) के माध्यम से विक्रेताओं को भुगतान, ई-टेंडरिंग इत्यादि हेतु विभिन्न कारगर कदम उठाये गये हैं। सांविधिक एजेंसियों को वापसी एवं रिपोर्ट भेज दी जाती है एवं सतर्कता आयोग से समय-समय पर प्राप्त होने वाले नियमों, अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक तत्वों को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कम्पनी में 03.11.2008 से 07.11.2008 के दौरान सतर्कता सप्ताह मनाया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - दिनांक 03.11.2008 को शपथ ग्रहण समारोह

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेश

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति ने प्राधिकृत दिशा-निदेश जारी किये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, 1 जनवरी, 2009 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उघमों (CPSEs) में अ-यूनियन सुपरवाइजरों तथा बोर्ड लेवल से ऊपर और बोर्ड लेवल से निम्न स्तर के कार्यपालकों के वेतनमानों में राष्ट्रपति द्वारा जारी संशोधित दिशा-निदेश प्राप्त किये गये हैं। तदनुसार, कम्पनी ने दिनांक 01.01.2007 से वेतनमानों को संशोधित करके कार्यान्वित कर दिया है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

2,00,000/- रुपये प्रतिमाह अथवा 24,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष और इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरों के बारे में कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1957 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत अपेक्षित जानकारी **शून्य** है।

निगमित शासन

आपकी कम्पनी में स्वस्थ निगमित शासन को बनाये रखने के लिए पारदर्शिता, अखण्डता, संव्यसायिकता तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कम्पनी में **सेबी** (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा-निर्देश

कम्पनी द्वारा (प्रदत्त पूंजी 500 लाख रूपये से कम हाने के कारण) सिद्वांत लागु नही होते, लेकिन जहां तक संभव होता है उन तरीकों पर अमल अवश्य करती है, जिनकी सूचना अनुबंध - II में दर्शायी गयी है।

निदेशक मण्डल

वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यालय में जिस निदेशक ने कार्यभार संभाला, वे निम्नलिखित हैं : -

डा. आर. एस. शुक्ला अंश-कालिक कार्यालय निदेशक अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	29.07.2008 से आगे

वित्तीय वर्ष के पश्चात् जो निदेशक कार्यालय छोड़ कर गये हैं, वे निम्नलिख्ति हैं :-

श्री बी. के. प्रसाद अंश-कालिक कार्यालय निदेशक अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	10.03.2008 से 29.07.2008

बोर्ड द्वारा श्री बी. के. प्रसाद को उनके द्वारा कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए एच एस सी सी के निदेशक मण्डल द्वारा सराहा गया है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के समीक्षाधीन अवधि में कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक थे :-

श्री वी. सी. शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.11.2006 से आगे
डा. एस. एन. पाल निदेशक (इंजीनियरिंग)	21.11.2005 से आगे
श्री नावेद मसूद अंश-कालिक निदेशक (शासकीय)	10.03.2008 से आगे
डा. आर. एस. शुक्ला अंश-कालिक निदेशक (शासकीय)	29.07.2008 से आगे

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए ए) के तहत वार्षिक लेखों को तैयार करने का विवरण

यह पुष्टि की जाती है कि : -

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानक को अपनाया जाता है।
- कम्पनी में वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू मानक लेखों को अपनाया गया है। कम्पनी द्वारा अपनायी गयी लेखाकार नीतियों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की सत्य तथा स्पष्ट छवि एवं उस अवधि के कम्पनी के लाभ अथवा हानि को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए लेखा रिकार्डों का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

- वार्षिक लेखों को निरन्तरता आधार पर तैयार किया गया है।

अनुपालन प्रमाण-पत्र

निदेशक रिपोर्ट में संशोधन अनुसार, कम्पनी (अनुपालन प्रमाण-पत्र) नियम, 2001 के संदर्भ में मैसर्स हरबंस लाल एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव पूर्ण-कालिक सेवा ने 31.3.2009 से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी किया हैं, जो अनुबन्ध - III पर निदेशक रिपोर्ट के अनुशेष अनुसार संलग्न हैं।

लेखा परीक्षक

आंतरिक लेखा परीक्षक :

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए कंपनी के समवर्ती एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स डी. डी. बंसल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया गया है। यह उनकी नियुक्ति का दूसरा वर्ष है।

सांविधिक लेखा परीक्षक :

कंपनी कार्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए मैसर्स ओ. पी. बागला एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार को एच एस सी सी का सांविधिक लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2008-09 वित्तीय वर्ष के लिए 2,00,000/- लाख रूपये (दो लाख रूपये मात्र) प्रदत्त मेहनताना दिया जायेगा, जिसमें सर्विस चार्ज शामिल नहीं है। यह उनकी नियुक्ति का दूसरा वर्ष है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए उत्तर अनुबंध - IV में दिए गए हैं।

सी ए जी (C A G) की प्रबंधक वर्ग की रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां अनुबंध - V में दी गई हैं।

निदेशक मण्डल लेखा परीक्षकों की बहूमूल्य सेवाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

आभारोक्तियां

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभाग से हमें बराबर जो सहायता, सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है, इसके लिए एच एस सी सी की तरफ से आपके निदेशक उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष एवं आडिट बोर्ड के सदस्य, सांविधिक लेखाकारों, आंतरिक लेखाकारों तथा कम्पनी के बैंकरों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों के सभी स्तरों पर निष्ठा-पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी निरंतर संवृद्धि एवं श्रेष्ठ बनी हुई है।

निदेशक मण्डल के लिए
और उनकी ओर से

(वी. सी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 11-08-2009

अनुबन्ध - I

चल रही प्रमुख परियोजनाओं का विवरण जिनमें परामर्श सेवा कर रही है

क. वास्तुविद संबंधी योजना, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी तथा परियोजना प्रबंधन

भारत में

- नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस (निग्रिहम्स), शिलौंग, मेघालय में नर्सिस होस्टल तथा अन्य कार्य / सेवाएं
- नर्सिंग कॉलेजों का उन्नयन : -
  - राज कुमारी अमृत कौर, नई दिल्ली
  - राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
  - लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बैगलौर, फैस - II
- वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के लिये होस्टल
- चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, रोहतक हेतु मातृ-शिशु ब्लॉक तथा मेंटल अस्पताल का ओ. पी. डी. तथा 150 बिस्तरों वाला ट्राउमा सेंटर
- आयुष विभाग, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेतु
  - नीज़ाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान (N I M S) हैदराबाद - 300 बिस्तरों वाला विशिष्ट सुविधाओं वाला ब्लॉक तथा 50 बिस्तरों वाला आपातकालीन एवं ट्राउमा ब्लॉक
  - संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (S G P G I), लखनऊ - 160 बिस्तरों वाला विशिष्ट सुविधाओं वाला ब्लॉक

नीज़ाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान (N I M S), हैदराबाद

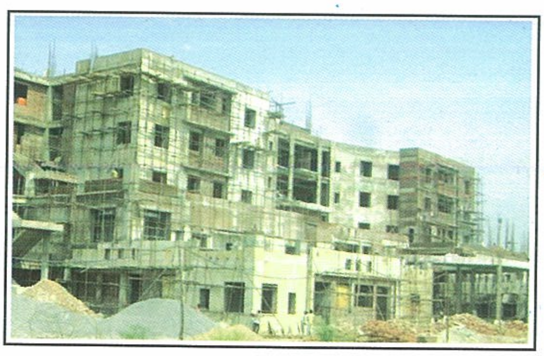

संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (S G P G I), लखनऊ

शैक्षिक ब्लाक, कोलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C), कोलकत्ता

- कोलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C), कोलकत्ता - 200 बिस्तरों वाला अति-विशिष्ट ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक सहित ऑडिटोरियम / हॉल
- रायपुर तथा भुवनेश्वर में एम्स जैसे संस्थानों हेतु रिहायसी कम्पलैक्स
- आई सी एम आर (ICMR), पूणे के लिए एम सी सी हेतु बी एस एल- 4 प्रयोगशाला
- प्रयोगशाला एवं पशुआलय - क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़
- इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल बॉयोलॉजी, कोलकत्ता
- आर. आर. एल. (R R L), जम्मू हेतु पशु सुविधालय
- एन. आर. सी. ई. (N R C E), कृषि मंत्रालय, हिसार हेतु बी. एस. एल. - 3 की प्रयोगशाला का निर्माण
- आई सी एम आर (I C M R), एन ए आर आई (N A R I) - भूसरी, पूणे
- लाला राम स्वरूप संस्थान (L R S I) नई दिल्ली हेतु बी.एस.एल. - 3 की प्रयोगशाला तथा एम. डी. आर. (M D R) क्षयरोग (T B) वार्ड तथा अन्य नवरूपण निर्माण कार्य
- मातृ एवं शिशु हैल्थ-केयर सेंटर, अमृतसर में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, ड्रग डिपैंडेन्श सेंटर, नर्सिंग कॉलेज तथा सेवा ब्लॉक से जुड़े संबंधित अस्पतालों तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन एवं विकास
- गुरू गोबिन्द सिंह चिकित्सा महाविद्यालय हेतु बाबा फरीद चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट तथा शैक्षिक ब्लॉक, सिनेट कैम्पस के निर्माण हेतु डिजाइन इंजीनियरिंग

एम्स (AIIMS) डेंटल कॉलेज, नई दिल्ली

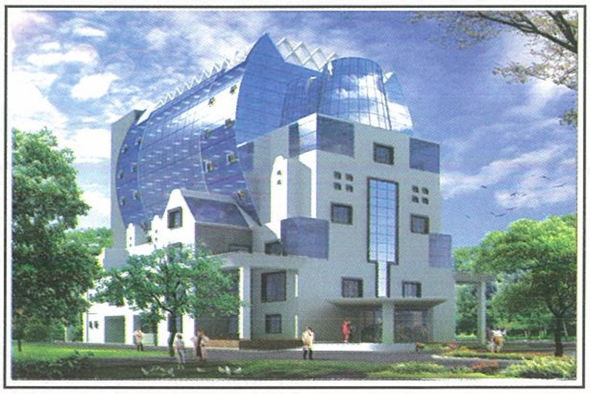

स्पोर्टस इंजरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

- आइजोल में अस्पताल कम्पलैक्स
- नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आर्युवेद एण्ड होम्योपैथी (N E I A H) शिलौंग का निर्माण
- लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हैल्थ, तेज़पुर का उन्नयन
- आर. आर. एल. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (R M S), जम्मू हेतु पशु सुविधालय

विदेश में

- बीर अस्पताल, काठमांडू , नेपाल हेतु 200 बिस्तरों वाला आपातकालीन एवं ट्राउमा सेंटर
- डिकोया, श्री लंका में जिला सामान्य अस्पताल

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं

- निग्रिहम्स, शिलौंग हेतु चिकित्सा उपकरण
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हेतु दवाइयां एवं उपकरण
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेतु चिकित्सा उपरकरण के तहत
    - बी. जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
    - कोलकत्ता मेडिकल कालेज, कोलकत्ता

नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आर्युवेद एण्ड होम्योपैथी, शिलौंग, मेघालय

दिनांक 25.02.2009 को उद्घाटन हुये डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दृश्य

- दिल्ली नगर निगम, दिल्ली हेतु उपकरण
- ओ. एन. जी. सी. (O N G C) हेतु उपकरण

ग. सूचना एवं तकनीक सेवाएं

- एन.सी.आर.पी.बी. (N C R P B) नई दिल्ली हेतु परियोजना मूल्यांकन सेवाएं
- ई. एस. आई. सी. (E S I C) हेतु डायग्नोस्टिक सेंटर तथा मानदण्ड हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (D P R)

- एल. एच. एम. सी. (LHMC) योजना हेतु पुनर्विकास एवं विस्तार
- पोर्ट-ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का निर्माण
- नाहर लागुन में अस्पताल कम्पलैक्स - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- नेशनल सेंटर फॉर डिसेस कंट्रोल - राष्ट्रीय रोग नियत्रंण केन्द्र (NICD) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का निर्माण

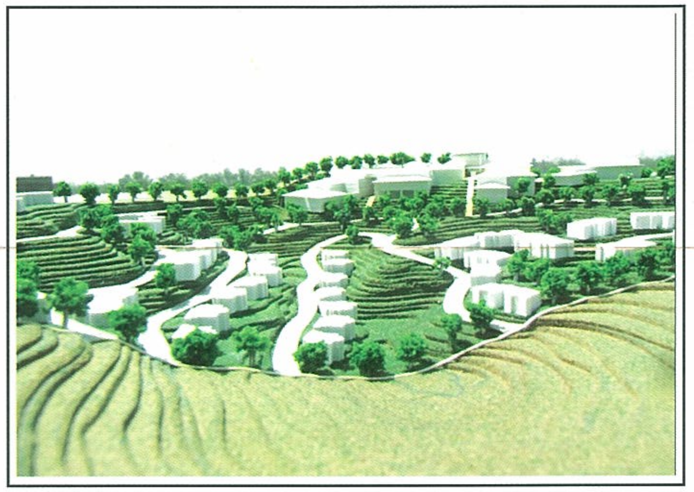

मेडिकल कॉलेज, पोर्ट ब्लेयर

अनुबन्ध - II

कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट

क. कम्पनी सिद्धांत

एक अच्छी कारपोरेट शासन निति किसी भी कम्पनी के बेहतर परिणामों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शेयरधारकों के मूल्यों व मैनेजमेंट में पारदर्शिता, आचार नीति, जवाबदेही तथा साफ-सुथरे परिणामों को दर्शाने व उनका ध्यान रखते हैं। मैंनेमेंट का यह दायित्व होता है कि वह विर्निदिष्ट मामलों में जहां तक संभव हो विस्तृत तरीके से तथ्यों को उपलब्ध करवाये।

ख. अन्य कम्पनियों में बोर्ड निदेशकों की श्रेणी तथा डायरेक्टरशिप का सम्मिश्रण

31.03.2009 से कम्पनी के बोर्ड निदेशकों में दो प्रकार्यात्मक निदेशक, दो अंश-कालिक शासकीय निदेशक तथा एक अंश-कालिक अ-शासकीय निदेशक हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित दिया गया है : -

निदेशक	पूर्ण कालिक / अंश-कालिक	अन्य सार्वजनिक उद्यमों में बोर्ड के सदस्य
श्री वी. सी. शर्मा	पूर्ण-कालिक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	शून्य
डा. एस. एन. पाल	पूर्ण-कालिक, निदेशक (इंजीनियरिंग)	शून्य
श्री नावेद मसूद	अंश-कालिक (शासकीय)	2
डा. आर. एस. शुक्ला	अंश-कालिक (शासकीय)	शुन्य

ग. बोर्ड बैठकें

अप्रेल, 2008 से मार्च, 2009 के मध्य सभा निदेशकों की (108वीं से 111वीं) **चार बैठकें** की गई, जिसमें एक बैठक प्रत्येक त्रैमासिक में दिनांक 19.06.2008, 29.07.2008, 28.11.2008, तथा 30.03.2009 को आयोजित की गई है।

बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशक	कार्यकाल के दौरान कितनी सभा बैठकें आयोजित की गई	उपस्थिति	पिछली वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति
श्री वी. सी. शर्मा	4	4	हां
डा. एस. एन. पाल	4	4	हां
श्री नावेद मसूद	4	4	हां
श्री बी. के. प्रसाद	2	2	हां (शेयरधारक होने के नाते)
डा. आर. एस. शुक्ला	2	1	हां

ध. साधारण निकाय बैठक

वार्षिक साधारण बैठक

गत 3 (तीन) वार्षिक साधारण बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई हैं : -

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2007-08	17.09.2008	दोपहर 12.00 बजे	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2006-07	21.09.2007	दोपहर 12.00 बजे	- उपरोक्त -
2005-06	21.09.2006	सांय 03.30 बजे	- उपरोक्त -

दिनांक 17.09.2008 को आयोजित गत वार्षिक साधारण बैठक के दौरान निम्नलिखित संदर्भ में विशेष प्रस्ताव पास किया गया था ।

प्राधिकृत पूंजी 200 लाख रूपये से 500 लाख रूपये बढ़ाने के उद्देश्य से संस्था के अंतर्नियमों एवं ज्ञापन में संशोधन किया गया है।

2:1 के अनुपात से 80,00,600/- लाख रूपये के बोनस शेयर जारी किये गये हैं।

ड. निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियुक्त कम्पनी के कार्यवाहक निदेशकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित की नियुक्ति के समय सरकार द्वारा जारी निबंधनों और शर्तों में उल्लिखित वेतनों को पहले ही सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, उसी के अनुसार औद्योगिक वेतन मंहगाई भत्ता (आई डी ए) दिया जाता है। कम्पनी नियमों के तहत भत्ते एवं अनुलब्धियां दी जाती हैं।

कम्पनी के अंश-कालिक कार्यकारी निदेशकों को उनके बोर्ड निदेशक खाते से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता लेकिन शासकीय कार्यकारी होने के लिए सरकार से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। अंश-कालिक अशासकीय निदेशक कम्पनी से कोई बैठक भत्ता भी नहीं लेते हैं, सभा निदेशकों द्वारा अनुमोदित किये गये पारिश्रमिक अनुसार कम्पनी के अंश-कालिक अशासकीय निदेशकों को कम्पनी की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हेतु 2500/- रूपये बैठक फीस दी जाती है, इसलिए कम्पनी ने अन्य कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की है।

च. शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

यह कम्पनी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है तथा (जिसके शेयर पंजीकृत नहीं हैं) इसके शेयर महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के पूर्णतया स्वामित्व में हैं, इसलिए कम्पनी ने कोई शेयरधारक शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की है।

छ. आडिट समिति

कम्पनी में **सेबी** (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत आडिट समिति द्वारा जारी नियम लागु नहीं होते, इसलिए कम्पनी ने कोई आडिट समिति गठित नहीं की है।

झ. प्रकटीकरण

पूरे वर्ष के दौरान, कम्पनी की पार्टियों के साथ लेन-देन एवं व्यापार के संदर्भ में कोई विरोधभाष नहीं जो कम्पनी के निदेशकों तथा प्रबंधन को प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, एच एस सी सी संस्था की अन्य कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

अनुबन्ध - III

(निदेशकों की रिपार्ट का अनुशेष)

अनुपालन प्रमाण पत्र

फार्म (नियम 3 देखें)

सेवामें,

सदस्यगण ,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सी आई एन : यू 74140 डी एल 1983 जी ओ आई 015459

प्राधिकृत पूंजी : 5,00,00,000/- रूपये

प्रदत्त पूंजी : 2,40,01,800/- रूपये

हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बने नियमों एवं मेमोरण्डम में यथालिखित उपबंधों और कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की यथापेक्षानुसार मैसर्स **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** के **31 मार्च, 2009** को समाप्त वित्त वर्ष के रजिस्टरों, अभिलेखों, बही एवं कागजातों की जांच कर ली है। हमारे विचार में और पूर्ण सूचना तथा की गयी जांच और कम्पनी व इसके अधिकारियों द्वारा हमें सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार हम उक्त वित्त वर्ष के मामले में निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :

1. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने उपबंधों व उनके तहत बने नियमों के अनुसार निम्नलिखित रजिस्टरों को बनाया है व उनका रख-रखाव किया है तथा उनमें सभी प्रविष्टियां विधिवत की गयी हैं :

क्रम सं.	कम्पनी द्वारा रखे गए रजिस्टर	धारा के तहत	टिप्पणियाँ
1.	सदस्यों का रजिस्टर	150	अद्यतन
2.	रजिस्टर एवं रिटर्न	163	अद्यतन
3.	बैठकों का कार्यवृत्त	193	अद्यतन
4.	लेखा बही	209	अद्यतन
5.	अंतरण रजिस्टर	108	अद्यतन
6.	शेयर आवेदन राशि एवं शेयर आबंटन रजिस्टर	150	अद्यतन
7.	ऐसे ठेकों का विवरण-रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रुचि है	301	अद्यतन
8.	निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, प्रबन्धकों एवं सचिवों का रजिस्टर	303	अद्यतन
9.	निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर	307	अद्यतन
10.	निदेशकों का उपस्थिति रजिस्टर	193	अद्यतन
11.	स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर	209	अद्यतन
12.	लाभांश रजिस्टर	205	अद्यतन

2. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों में निर्धारित प्राधिकरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित फार्म व रिटर्न जमा कराए हैं :

वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जमा किये गये फार्म / रिटर्न

क्रम सं.	फार्म संख्या	प्राधिकरण जिसके तहत फार्म/रिटर्न जमा कराया गया	धारा जिसके तहत फार्म/रिटर्न जमा कराया गया	टिप्पणियाँ		
1.	फार्म 66	कम्पनी रजिस्ट्रार	383 ए	वार्षिक साधारण बैठक	:	17.09.2008
				जमा कराने की तारीख	:	30.09.2008
				रसीद संख्या	:	पी 22296248
2.	फार्म 23	कम्पनी रजिस्ट्रार	192	वार्षिक साधारण बैठक	:	17.09.2008
				जमा कराने की तारीख	:	07.10.2008
				रसीद संख्या	:	ए 46393856
3.	फार्म 5	कम्पनी रजिस्ट्रार	94 ए (2)	प्राधिकृत पूँजी को बढ़ाने/		
			95, 97	वार्षिक साधारण बैठक	:	17.09.2008
				जमा कराने की तारीख	:	07.10.2008
				रसीद संख्या	:	ए 46405221
4.	फार्म 32	कम्पनी रजिस्ट्रार	303(2)	परिवर्तन की तारीख	:	29.07.2008
				जमा कराने की तारीख	:	04.11.2008
				रसीद संख्या	:	ए 49089113
	दिनांक 29.07.2008 से डा. आर. एस. शुक्ला की नियुक्ति तथा दिनांक 29.07.2008 को श्री बी. के. प्रसाद के कार्यकाल की समाप्ति					
5.	फार्म 20 बी	कम्पनी रजिस्ट्रार	159	वार्षिक साधारण बैठक	:	17.09.2008
				जमा कराने की तारीख	:	13.11.2008
				रसीद संख्या	:	ए 25825415
6.	फार्म 23 ए सी तथा 23 ए सी ए	कम्पनी रजिस्ट्रार	220	वित्तीय वर्ष	:	31.03.2008
				जमा कराने की तारीख	:	13.11.2008
				रसीद संख्या	:	ए 25824806
7.	फार्म 2	कम्पनी रजिस्ट्रार	75(1)	बोनस शेयर जारी		
				करने की तारीख	:	09.03.2009
				जमा कराने की तारीख	:	23.03.2009
				रसीद संख्या	:	ए 58495326

3. भारत सरकार का एक उद्यम होने के नाते इस कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2,40,01,800/- रुपये है और हमें दी गयी सूचना व विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2009 से उसके सदस्यों की संख्या दस है। शेयर धारकों का विवरण नीचे दिया गया है : -

क्रम सं०	शेयर धारकों का विवरण	शेयरों की संख्या	क्रमांक	शेयर प्रमाण पत्र सं०	लेजर फोलियो
1.	भारत के राष्ट्रपति	5994	1-5994	000003	2 / I
	भारत के राष्ट्रपति	10000	6001-16000	000010	2 / I
	भारत के राष्ट्रपति	24000	16001-40000	000011	2 / I
	भारत के राष्ट्रपति	17982	40004-57985	000015	2 / I
	भारत के राष्ट्रपति	30000	57986-87985	000016	2 / I
	भारत के राष्ट्रपति	72000	87986-159985	000017	2 / I
	भारत के राष्ट्रपति	79988	160013-240000	000027	2 / I
2.	श्री के. रामामूर्ति, पूर्व जे. एस. (स्वा. एवं प. क. मं.)	1	5995	000004	2 / III
	श्री के. रामामूर्ति, पूर्व जे. एस. (स्वा. एवं प. क. मं.)	3	159989-159991	000019	2 / III
	श्री के. रामामूर्ति, पूर्व जे. एस. (स्वा. एवं प. क. मं.)	2	240001-240002	000028	2 / III
3.	श्री आर. के. श्रीवास्तव, डी.जी.एच.एस.	1	5996	000007	3 / III
	श्री आर. के. श्रीवास्तव, डी.जी.एच.एस.	3	159992-159994	000020	3 / III
	श्री आर. के. श्रीवास्तव, डी.जी.एच.एस.	2	240003-240004	000029	3 / III
4.	श्री विनीत चौधरी (जे. एस.)	1	5997	000006	9 / III
	श्री विनीत चौधरी (जे. एस.)	3	159995-159997	000021	9 / III
	श्री विनीत चौधरी (जे. एस.)	2	240005-240006	000030	9 / III
5.	श्री ए. एस. भाटिया, निदेशक	1	5998	000009	8 / III
	श्री ए. एस. भाटिया, निदेशक	3	159998-160000	000022	8 / III
	श्री ए. एस. भाटिया, निदेशक	2	240007-240008	000031	8 / III
6.	श्री नावेद मसूद (ए. एस. एफ .ए.)	1	5999	000005	11 / III
	श्री नावेद मसूद (ए. एस. एफ. ए.)	3	160001-160003	000023	11 / III
	श्री नावेद मसूद (ए. एस. एफ. ए.)	2	240009-240010	000032	11 / III
7.	श्री देबाशिश पांडा (जे. एस.)	1	6000	000008	10 / III
	श्री देबाशिश पांडा (जे. एस.)	3	160004-160006	000024	10 / III
	श्री देबाशिश पांडा (जे. एस.)	2	240011-240012	000033	10 / III
8.	श्री वी. सी. शर्मा (अ.एवं प्र.नि.-एच एस सी सी)	1	40001	000012	5 / III
	श्री वी. सी. शर्मा (अ.एवं प्र.नि.-एच एस सी सी)	3	160007-160009	000025	5 / III
	श्री वी. सी. शर्मा (अ.एवं प्र.नि.-एच एस सी सी)	2	240013-240014	000034	5 / III
9.	श्री बी. के. प्रसाद (जे. एस.)	1	40003	000014	7 / III
	श्री बी. के. प्रसाद (जे. एस.)	3	160010-160012	000026	7 / III
	श्री बी. के. प्रसाद (जे. एस.)	2	240015-240016	000035	7 / III
10.	डा. एस. एन. पाल (निदेशक, एच एस सी सी)	1	40002	000013	6 / III
	डा. एस. एन. पाल (निदेशक, एच एस सी सी)	3	159986-159988	000018	6 / III
	डा. एस. एन. पाल (निदेशक, एच एस सी सी)	2	240017-240018	000036	6 / III

4. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार निदेशक मण्डल की विधिवत **चार** बैठकें आयोजित की गयी, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। उक्त बैठकों के संबंध में विधिवत सूचना दी गयी थी और कार्यवाहियों को उचित रूप में रिकार्ड व हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखे गए रजिस्टर में विधिवत रिकार्ड किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

बैठक संख्या	बैठक आयोजित होने की तारीख	टिप्पणियाँ
108वीं	19.06.2008	बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहियां विधिवत रिकार्ड की गयीं।
109वीं	29.07.2008	बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहियां विधिवत रिकार्ड की गयीं।
110वीं	28.11.2008	बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहियां विधिवत रिकार्ड की गयीं।
111वीं	30.03.2009	बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहियां विधिवत रिकार्ड की गयीं।

5. कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान इसके सदस्यों का रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित **नहीं** था।

6. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के सदस्यों को उचित सूचना देकर **31.03.2008** को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम सभा बैठक **17.09.2008** को आयोजित की गयी और इस बैठक में पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखी गयी पुस्तक में विधिवत रिकार्ड किया गया।

7. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार **31 मार्च, 2009** को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई विशेष आम सभा बैठक आयोजित **नहीं** की गयी है।

8. भारत सरकार का एक उद्यम होने के नाते कम्पनी के निदेशकों को दिए गए सभी ऋण एवं पेशगियां कम्पनी द्वारा उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार हैं।

9. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 297 के तहत आने वाले किसी ठेके पर दिनांक 31.01.1978 जी. एस. आर. संख्या 233 अधिसूचना के तहत मिलने वाली छूट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

10. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के लिए अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दिनांक 31.01.1978 जी. एस. आर. संख्या 233 अधिसूचना के तहत मिलने वाली छूट पर कोई प्रविष्टि करनी अपेक्षित **नहीं** थी।

11. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार ऐसा कोई मामला प्रकाश में **नहीं** आया है जो अधिनियम की धारा 314 के तहत आता हो।

12. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान किसी अंश प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी **नहीं** की है।

13. हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार : -

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर आबंटित / प्रसारण **नहीं** किया गया था।

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 2:1 के अनुपात से 80,00,600/- लाख रूपये (100/- रूपये प्रति शेयर के 80,006 इक्विटी शेयर) के बोनस शेयर जारी किये गये हैं। वर्ष के दौरान जो शेयर अंतरित किये गये उनका विवरण निम्नलिखित है : -

क्रम सं.	अंतरितकर्ता	शेयरों की संख्या	क्रमांक	प्रमाण पत्र संख्या	लेजर फोलियो
1.	भारत के राष्ट्रपति	79988	160013-240000	000027	2/I
2.	श्री के. रामामूर्ति, पूर्व जे. एस. (स्वा. एवं प. क. मं.)	2	240001-240002	000028	2/III
3.	श्री आर के श्रीवास्तव, डी. जी. एच. एस.	2	240003-240004	000029	3/III
4.	श्री विनीत चौधरी (जे. एस.)	2	240005-240006	000030	9/III
5.	श्री ए. एस. भाटिया, निदेशक	2	240007-240008	000031	8/III
6.	श्री नावेद मसूद (ए. एस. एफ .ए.)	2	240009-240010	000032	11/III
7.	श्री देबाशिश पांडा (जे. एस.)	2	240011-240012	000033	10/III
8.	श्री वी. सी. शर्मा (अ.एवं प्र.नि. - एच एस सी सी)	2	240013-240014	000034	5/III
9.	श्री बी. के. प्रसाद, (जे. एस.)	2	240015-240016	000035	7/III
10.	डा. एस. एन. पाल (निदेशक - एच एस सी सी)	2	240017-240018	000036	6/III

(i) इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने लाभांश की निम्नलिखित राशि की घोषणा की एवं भुगतान किया :

क्र. सं०	विवरण	घोषित लाभांश की राशि	लाभांश घोषित करने की तारीख	लाभांश भुगतान करने की तारीख
1	अन्तिम लाभांश	2,08,01,560/-	17.09.2008 (वार्षिक आम-सभा बैठक)	26.09.2008

इस कम्पनी ने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते लाभांश भुगतान हेतु बैंक में अलग से 27.09.2001 से खाता खोल रखा है एवं कम्पनी के किसी सदस्य को लाभांश वारंट भेजने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि लाभांश की राशि भारत सरकार के खाते में सीधे ही जमा की गयी है।

(iv) लाभांश, वापसी हेतु देय आवेदन राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर्स तथा उन पर देय ब्याज सहित भुगतान न की गयी ऐसी कोई राशि प्रकाश में **नहीं** आयी जो सात वर्ष की अवधि से दावा न किए जाने अथवा भुगतान न किए जाने के कारण अभी तक शेष हो ;

(v) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 217 का यथापेक्षानुसार पालन किया है।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन हुआ है और निदेशकों की नियुक्ति विधिवत की गयी है ; कम्पनी में इस कार्यावधि में कोई भी निदेशक सेवानिवृत नहीं हुआ है।

दिनांक 31.03.2009 से मौजूदा निदेशक मण्डल का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख	नियक्ति हेतु प्राधिकारी	धारा के तहत
1.	डा. एस. एन. पाल	21.11.2005	–	भारत सरकार	617
2.	श्री विनोद चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.11.2006	–	भारत सरकार	617
3.	श्री नावेद मसूद	10.03.2008	–	भारत सरकार	617
4.	डा. आर. एस. शुक्ला	29.07.2008	–	भारत सरकार	617
5.	श्री बी. के. प्रसाद	10.03.2008	29.07.2008		

15. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंध निदेशक / पूर्ण - कालिक निदेशक / प्रबंधक की नियुक्ति **नहीं** की है।

16. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सोल बिक्री एजेंट की नियुक्ति **नहीं** की है।

17. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत निर्धारित केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार अथवा ऐसे ही अन्य प्राधिकारियों से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

18. निदेशकों ने रुचि प्रकट की है।

19. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार, सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है, उनकी रुचि को साधारण प्रकटीकरण अनुसार कार्यवृत्त (मिनिट्स) में दर्ज कर लिया गया है।

20. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान **किसी** भी शेयर की वापसी खरीद **नहीं** की है।

21. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के पास वरीयमान शेयर अथवा डिबेन्चर्स **नहीं** हैं।

22. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को शेयर के अंतरण का पंजीकरण लम्बित होने के कारण लाभांश, राइट शेयर तथा बोनस शेयर संबंधी कोई भी लेन-देन स्थगित रखने की आवश्यकता **नहीं** थी।

23. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान धारा 58ए के तहत आने वाली किसी भी जमा अथवा अप्रत्याभूत ऋणों को आमंत्रित / स्वीकार **नहीं** किया है।

24. कम्पनी ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी उधार **नहीं** लिया है।

25. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण अथवा पेशगी **नहीं** दी है और न ही किसी अन्य कारपोरेट संकाय को गारण्टी अथवा प्रतिभूति प्रदान की है। फलस्वरूप इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गयी है।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थिति ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन **नहीं** किया है।

27. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन **नहीं** किया है।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन **नहीं** किया है।

29. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूँजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन **नहीं** किया है। विवरण निम्नलिखित हैं :-

    कम्पनी की प्राधिकृत पूँजी 2 करोड़ रूपये (100 रूपये प्रति शेयर विभाजित 200000 इक्विटी शेयर) से बढ़कर 5 करोड़ रूपये (100 रूपये प्रति शेयर विभाजित 500000 इक्विटी शेयर) हो गई है।

30. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्था के अंतर्नियमों में कोई परिवर्तन **नहीं** किया है।

31. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत अपराध होने के प्रति कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गयी और न ही कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ और न ही कम्पनी पर कोई आर्थिक दण्ड या जुर्माना अथवा अन्य कोई दण्ड लगाया गया।

32. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को वित्त वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से कोई राशि अथवा प्रत्याभूति प्राप्त नहीं हुई है।

33. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान भविष्य निधि के प्रति अंशदान की कटौती की है और इसे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के अंशदान को कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 418 के तहत प्राधिकरण में जमा कराया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.08.2009

हस्ताक्षर
कम्पनी सचिव का नाम : **हरबंस लाल**
सी. पी. नं. : 3944
कृते हरबंस लाल एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

अनुबंध - IV

(निदेशकों की रिपार्ट का अनुशेष)

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियां कम्पनी द्वारा लेखों में सम्मिलित की गयी विभिन्न टिप्पणियों के संदर्भ में है। टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट है।

अनुबंध - V

(निदेशकों की रिपार्ट का अनुशेष)

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेंमवर्क अनुसार बनाये गयें हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से निर्मित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार हैं तथा इन पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुमानित आडिटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **11 अगस्त, 2009** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से सत्यापित करता हूँ कि **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या अनुपूरक पर कोई टिप्पणियां नहीं हैं।

कृते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की ओर से

(बिरेन्द्र कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - I,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अगस्त, 2009

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
के सदस्यों को

हमने **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड**, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2009 तक के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कम्पनी के संलग्न लाभ-हानि लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण ही कम्पनी के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आडिट करके अपना विचार प्रकट करने का है।

हमने साधारणतया भारत में स्वीकृत लेखा मानकों का लेखा जांच में पालन किया है। इन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को मुक्त वस्तु असंगतता अपनाकर तैयार किया गया है। इन आडिटों को तैयार करते समय वित्तीय विवरणों में वर्णित जाचों, परिक्षण आधार पर, राशि के साक्ष्यों को ध्यान रखा गया है। इस आडिट में प्रबंधन द्वारा बनाये प्रदत्त लेखा प्रावधानों एवं महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ - साथ सम्पूर्ण वित्तीय प्रस्तुतीकरण को ध्यान रखा गया है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा ही हमारे आधार के लिए उत्तरदायी है।

1. कम्पनी अधिनियम, 2003 की धारा 227 (4ए) के अनुसार, कम्पनियों द्वारा किये गये (लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 के तहत, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी विनिर्माण एवं अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1956 द्वारा यथा अपेक्षित तथा ऐसी जांच जिसे हमने आवश्यक समझा है एवं लेखा परीक्षा के दौरान प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं विवरणों के आधार पर हम उक्त आदेश के अनुच्छेद (4) व (5) में उल्लिखित मामलों पर एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. उक्त अनुच्छेद (1) में उल्लिखित अनुबन्ध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम रिपोर्ट देते हैं कि : -

   (क) हमने वह सभी सूचना एवं विवरण प्राप्त किए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के लिए लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे।

   (ख) हमारे विचार से जहाँ तक खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते लेखा बहियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   (ध) हमारी राय में जहाँ तक इस कंपनी में लागू होने का प्रश्न है, इसके तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3 ग) के संदर्भ में आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

   (च) वित्त मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (जी) की उप-धारा (1) दिनांक 21.10.2003 अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 829 (ई) के तहत सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होती।

(छ) लेखों की अनुसूची 14 में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है : -

टिप्पणी संख्या 5 : विभिन्न अनुसूचियों में विविध देनदारों, लेनदारों तथा अन्य पार्टियों से खातों की पुष्टि ना होना। यदि कोई हो, खाते में राशि की पुष्टि या समाधान न होने निर्धारण ना प्रमाणन ना हो पाना।

टिप्पणी संख्या 6 : ग्राहक, एम्स (AIIMS) द्वारा परामर्श शुल्क में 50 लाख रूपये के उपचार के संबंध में कटौती।

टिप्पणी संख्या 21 : लाभ-हानि लेखों में स्थाई परिसम्पत्तियाँ की प्रत्यक्ष रूप में की गई जांच के आधार पर लम्बित पड़े 1.46 लाख रूपये लाभ-हानि लेखे में समाशोधित किये गये हैं।

(ज) उक्त अनुच्छेद (छ) में की गयी हमारी टिप्पणी के रहते हमारे विचार में, हमारी पूर्व सूचना तथा उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार भारत में स्वीकृत महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ अनुसूची 13 और अनुसूची 14 तदनुसार, पठित उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत आवश्यक सूचना उस ढंग से प्रदान करते हैं, जो निम्न संदर्भ में सत्य एवं स्पष्ट हैं :-

(i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के सरकारी मामलों पर; और

(ii) लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ पर।

कृते ओ. पी. बागला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(सी. ए. राकेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 87537

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11/08/2009

अनुबंध - अ

[एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अनुबन्ध]

(i) (क) कम्पनी ने मात्रा संबंधी विवरणों एवं अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित अभिलेखों का उचित रख-रखाव किया है।

(ख) जैसा हमें सूचित किया गया, कि कम्पनी में स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच केवल वर्ष के अंत में ही करती है। हमारी राय में प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रिया युक्तियुक्त एवं उचित है, जोकि कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल राशि एवं उसके साइज पर आधारित है। प्रबंधक वर्ग ने हमें यह भी बताया कि परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच के दौरान बहियों में लिखे शेष माल एवं प्रत्यक्ष रूप में पाए गए शेष माल के बीच कोई असमानता नहीं पायी गयी।

(ग) वर्ष के दौरान किसी भी स्थायी परिसम्पत्ति के भौतिक भाग का निपटान नहीं किया गया है। इसलिए पैराग्राफ 4(i)(ग) लागू नहीं होता।

(ii) क्योंकि कम्पनी द्वारा कोई माल-सूची नहीं बनायी जाती है, इसलिए पैराग्राफ 4(ii)(क), 4(ii)(ख) तथा 4(ii)(ग) लागू नहीं होता।

(iii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम), की धारा 301 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कम्पनी संगठन से / अथवा अन्य पार्टियों तथा / अथवा कम्पनी से किसी प्रकार का आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है, इसलिए पैराग्राफ 4(iii)(क) से 4(iii)(घ) तक आदेश लागू नहीं होते।

(iv) कम्पनी का परामर्शदायी सेवाओं के व्यवसाय में होने के कारण भण्डारण, कच्चा माल तथा उपकरणों की खरीद, सामग्री सूची एवं माल की बिक्री का प्रश्न ही नहीं होता। हालांकि, हमारे विचार में और सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार जहां तक उपस्करों एवं अन्य सम्पत्तियों का मामला है तो कम्पनी में इसके आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए स्थायी परिसंम्पत्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री संबंधी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां तथा ग्राहकों की ओर से भौतिक पदार्थों / उपस्करों का प्रापण भी किया जाता हैं। आडिट के दौरान हमने आन्तिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की कमी नहीं पायी है।

(v) हमें सुलभ करायी गयी सूचना व विवरणों एवं अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में किसी भी लेन-देन को उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है तथा इसलिये पैराग्राफ V (क) और V (ख) के आदेश कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(vi) कम्पनी ने आम जनता से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं की है, कम्पनी अधिनियम, की धारा 58-ए तथा 58-ए ए या अन्य कोई संबंधित उपबंध के तहत नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(vii) हमारे विचार में कम्पनी में आंतरिक लेखा प्रणाली है जोकि उसको आधार एवं व्यवसाय के अनुरूप करती है।

(viii) जैसा कि प्रबंधक वर्ग ने हमें सूचित किया है केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के तहत लागत अभिलेखों का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है।

(ix) (क) हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरणों के अनुसार, सामान्यतः कम्पनी भविष्य, आयकर तथा सीमा शुल्क निधि देयताओं को नियमित रूप से जमा करती है तथा कम्पनी पर आयकर, सीमा शुल्क के रूप में कोई भी ऐसी विवादित राशि बकाया नहीं है, जो 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से **छः** महीने से अधिक अवधि तक बकाया रही हो। हमें कम्पनी के प्रबंधक वर्ग द्वारा सूचित किये गये विवरणों के अनुसार, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि तथा उपकर, कर्मचारी राज्य बिमा, सम्पत्ति कर, बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क के रूप में कोई भी ऐसी विवादित राशि बकाया नहीं है।

(ख) कम्पनी पर किसी भी प्रकार का आयकर / बिक्रीकर / सम्पत्ति कर / सेवा कर / सीमा-शुल्क / उत्पाद-शुल्क/ मामलों से संबंधित कोई भी विवादित मामला लम्बित नहीं है। फिर भी, यहां 5.47 लाख रुपये (निवल का भुगतान) आय कर मांग के लिये वर्ष 2006-07 हेतु रखी गयी है जोकि लम्बित अपील के मामले में सी.आई.टी. (CIT) (अपील), XV, नई दिल्ली के पास जमा नहीं की गयी है।

(x) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान ना तो किसी हानी का संचय किया ना ही किसी राशि को प्राप्त किया तथा उसका तुरन्त वित्तीय वर्ष में ही पूर्ववर्ती निपटारा कर दिया है।

(xi) कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया ना ही कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी किया है। अतः पैरा 4(xi) का आदेश लागू नहीं होता।

(xii) कम्पनी ने कोई भी शेयर, डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी के आधार पर किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है। अतः पैरा 4(xii) का आदेश लागू नहीं होता।

(xiii) कम्पनी ना तो चिट-फंड ना निधि / पारस्परिक लाभ फंड / सौसाइटी नहीं है जहां चिट-फंड संस्थाओं से संबंधित विशेष संविधि उपबंध लागू होते हैं।

(xiv) हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरणों के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों अथवा अन्य निवेशों में व्यापार नहीं किया है।

(xv) जैसा हमें बताया गया है, कम्पनी ने ऋणों के लिए अन्यों से किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है। अतः पैरा 4(xv) का आदेश लागू नहीं होता।

(xvi) जैसा हमें बताया गया है, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का आवधिक ऋण नहीं लिया है। अतः पैरा 4(xvi) का आदेश लागू नहीं होता।

(xvii) हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान यहां कोई भी अल्प-कालिक अथवा दीर्घ-कालिक राशि बढ़ी नहीं है।

(xviii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयर का वरीय आबंटन नहीं किया है।

(xix) कम्पनी ने कोई भी डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(xx) कम्पनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक तौर पर कोई भी राशि नहीं ली है।

(xxi) हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने या पर कोई गबन का मामला सूचित या ध्यानाकर्षित नहीं आया है।

कृते ओ. पी. बागला एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(सी. ए. राकेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 87537

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11/08/2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

	अनुसूची संख्या		31 मार्च, 2009 को (रूपये)		31 मार्च, 2008 को (रूपये)
निधियों के स्रोत :					
शेयरधारकों की निधियां					
शेयर पूंजी	1		24,001,800		16,001,200
आरक्षित एवं अधिशेष	2		634,112,913		569,457,584
योग			**658,114,713**		**585,458,784**
निधियों का उपयोग :					
स्थाई परिसंपत्तियां	3				
कुल मान		112,606,798		113,620,278	
घटाएं : मूल्यह्रास		45,060,756		44,063,523	
निवल मान		67,546,042		69,556,755	
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य		-		1,057,887	
सेवानिवृत परिसम्पत्तियां (निपटारे हेतु रोकी गई)		-	67,546,042	116,881	70,731,523
आस्थगित कर देयता (कुल) (टिप्पणी संख्या 20 देखें)			9,456,641		4,193,289
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं पेशगियां					
विविध देनदारियां	4	65,404,893		108,775,547	
नगद एवं बैंक में शेष	5	3,465,712,487		3,027,058,819	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	6	207,429,321		199,630,776	
ऋण एवं पेशगियां	7	454,139,872		478,699,201	
		4,192,686,573		3,814,164,343	
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान					
चालू देयताएं	8	3,566,802,157		3,272,067,164	
प्रावधान	9	44,772,386		31,563,207	
		3,611,574,543		3,303,630,371	
निवल चालू परिसंपत्तियां			581,112,030		510,533,972
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13				
लेखों पर टिप्पणियाँ	14				
योग			**658,114,713**		**585,458,784**

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

यह तुलन-पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते ओ. पी. बागला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सी. ए. राकेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 87537
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11/08/2009

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

(वी. सी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डा. एस. एन. पाल)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)
एवं कम्पनी सचिव

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

	अनुसूची संख्या		2008-09 (रूपये)		2007-08 (रूपये)
आय :					
परामर्श शुल्क - (पूर्व अवधि के आय 1086514/- रूपयों सहित गत वर्ष 2753090/- रूपये) (कुल स्रोत पर कर कटौती रूपये 13674950/-; गत वर्ष रुपये 12239421/-)		195,931,519		174,931,621	
धटाएं : गत वर्ष बुक की गई अधिक फीस की वापसी		2,292,373	193,639,146	886,133	174,045,488
अन्य आय	10		133,666,804		135,588,810
कुल आय			**327,305,950**		**309,634,298**
व्यय :					
कर्मचारियों का वेतन एवं परिलब्धियां	11		103,330,164		97,135,517
स्टाफ ट्रस्ट में योगदान			3,450,000		2,660,000
प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	12		62,855,972		71,337,572
मूल्यह्रास			4,369,107		4,536,814
कुल व्यय			**174,005,243**		**175,669,903**
कर पूर्व लाभ			**153,300,707**		**133,964,395**
घटाएं : आयकर हेतु प्रावधान					
- चालू आयकर		60,000,000		44,000,000	
- आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियाँ)		(5,263,352)		5,224,522	
- अन्य सुविधाएं कर		1,496,979	56,233,627	1,540,955	50,765,477
			97,067,080		83,198,918
जोडें/ (धटायें) : आयकर/ गत वर्षों के एफ बी टी का समाशोधन			(74,366)		443,417
कर पश्चात लाभ			**96,992,714**		**83,642,335**
गत वर्ष से कुल राशि को अग्रेनीत			393,897,257		354,591,707
विनियोजन से पहले लाभ			**490,889,971**		**438,234,042**
विनियोजन :					
लाभांश			20,801,560		20,801,560
लाभांश पर कॉरपोरेट कर			3,535,225		3,535,225
सामान्य आरक्षित में अंतरित			20,000,000		20,000,000
तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष			446,553,186		393,897,257
			490,889,971		**438,234,042**
अर्जित प्रति शेयर (मूल / मिश्रण)			**404**		**523**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13				
लेखा टिप्पणियां	14				
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।					

यह तुलन-पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।
कृते ओ. पी. बागला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सी. ए. राकेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 87537
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11/08/2009

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से
(वी. सी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डा. एस. एन. पाल)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)
एवं कम्पनी सचिव

31 मार्च, 2009 को संलग्न अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग थीं

अनुसूची - 1

शेयर पूँजी

	31 मार्च, 2009 को (रूपये)	31 मार्च, 2008 को (रूपये)
प्राधिकृत		
100 रुपये प्रत्येक में 500000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 200000)	50,000,000	20,000,000
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
240018 पूर्ण प्रदत्त 100 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 160012)	24,001,800	16,001,200
(उपरोक्त वर्णित पूर्ण प्रदत्त 100 रूपये प्रत्येक के 80006 से उपरोक्त शेयरों के 120009 को बोनस शेयर तरीके से तदानुसार वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2003-04 में पूँजी में परिवर्तन हेतु साधारण आरक्षित विधि से जारी किया गया।)		
	24,001,800	**16,001,200**

अनुसूची - 2

आरक्षित एवं अधिशेष

		31 मार्च, 2009 को (रूपये)		31 मार्च, 2008 को (रूपये)
सामान्य आरक्षित				
पिछले लेखों के अनुसार	175,560,327		156,517,986	
घटाये : जारी किये गये बोनस शेयरों का इस्तेमाल	(8,000,600)		-	
घटाये : कर्मचारियों के हित में ए एस 15 (परिशोधित) के तहत छुट्टी प्रर्तिपूति (आस्थगित कर का निवल) हेतु संक्रमणकालीन देयता	-		957,659	
जोड़े : लाभ हानि लेखे से अंतरित	20,000,000	187,559,727	20,000,000	175,560,327
लाभ हानि लेखे में अधिशेष		446,553,186		393,897,257
		634,112,913		**569,457,584**

अनुसूची - 3

क. स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(रूपये)

विवरण	कुल मान				मूल्यहास				निवल मान	
	01.04.08 को	वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.09 को	31.03.2008 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2009 तक	31.03.09 को	31.03.08 को
भूमि-पट्टे पर *	47,213,583	-	1,850,627	45,362,956	1,807,206	524,595	-	2,331,801	43,031,155	45,406,377
भवन-पट्टे की भूमि पर	18,170,688	1,098,686	-	19,269,374	6,886,966	619,120	-	7,506,086	11,763,288	11,283,722
कार्यालय फ्लैट-पट्टे पर	2,947,502	-	-	2,947,502	1,321,585	81,296	-	1,402,881	1,544,621	1,625,917
फर्नीचर और फिक्सर	9,118,354	258,706	-	9,377,060	7,411,417	318,866	-	7,730,283	1,646,777	1,706,937
विद्युत उपकरण	11,970,537	89,768	-	12,060,305	8,105,955	556,035	-	8,661,990	3,398,315	3,864,582
एयर कन्डीस्नर्स / कुलर्स	2,852,828	-	-	2,852,828	1,631,200	169,928	-	1,801,128	1,015,700	1,221,628
कार्यालय उपस्कर	2,551,609	86,657	89,500	2,548,766	1,531,126	156,413	19,451	1,668,088	880,678	1,020,483
वाहन	1,285,076	-	-	1,285,076	1,045,039	62,146	-	1,107,185	177,891	240,037
कम्प्यूटर्स	17,510,101	2,849,804	3,456,974	16,902,931	14,323,029	1,880,708	3,352,423	12,851,314	4,051,617	3,187,072
चालू वर्ग का योग	113,620,278	4,383,621	5,397,101	112,606,798	44,063,523	4,369,107	3,371,874	45,060,756	67,546,042	69,556,755
गत वर्ष का योग	118,741,056	3,089,136	8,209,914	113,620,278	46,690,210	4,536,814	7,163,501	44,063,523	69,556,755	

टिप्पणी :

* लगभग 90 वर्षों तक पट्टे पर ली गई भूमि ऋण हेतु अनुपातिक रुप में 1996 तक 5,749,075/- रुपये में तथा 41,464,508/- रुपये राशि को 2006 तक प्रयोग की गई। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)

ख. निपटारे हेतु सेवा - निवृत्त परिसम्पत्तियाँ

विवरण	निवल मान	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	निवल मान
	01.04.2008 तक वसूली-युक्त कुल राशि		31.03.2009 तक वसूली-युक्त कुल राशि
एयर कन्डीस्नर्स / कूलर्स	116,881	116,881	शून्य

अनुसूची - 4
विविध देनदारियां (अनारक्षित)

	31 मार्च, 2009 को (रूपये)	31 मार्च, 2008 को (रूपये)
निम्न अवधि से बकाया ऋण छः माह से अधिक :		
- असंदिग्ध समझे गए	23,066,446	35,910,236
- संदिग्ध समझे गए	7,276,525	888,608
	30,342,971	36,798,844
अन्य ऋण - असंदिग्ध समझे गए	42,338,447	72,865,311
	72,681,418	109,664,155
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	7,276,525	888,608
	65,404,893	**108,775,547**

अनुसूची - 5
नकद एवं बैंक में शेष

		31 मार्च, 2009 को (रूपये)		31 मार्च, 2008 को (रूपये)
अग्रदाय सहित हस्तगत नकद		523,475		107,281
हस्तगत चैक		2,193,774		-
अनुसूचित बैंकों में : - चालू खातों में		41,257,835		68,945,511
- जमा खातों में	1,196,597,762			
घटायें : बुक ओवरड्राफ्ट	360,178	1,196,237,584		1,142,943,414
(उपरोक्त के अलावा बैंक ने स्थायी पुनर्ग्रहणाधिकार को बैंक गांरटी पर 107.28 लाख रूपये आगे बढ़ा दिया है, गत वर्ष 80.00 लाख रूपये है।)				
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से (टिप्पणी संख्या 3 देखें)				
- बचत खातों में		69,433,102		170,142,024
- जमा खातों में	2,163,001,589		1,684,536,733	
धटायें : बुक ओवरड्राफ्ट	6,934,872	2,156,066,717	39,616,144	1,644,920,589
(उपरोक्त के अलावा बैंक ने स्थायी पुनर्ग्रहणाधिकार को लेनदारों के पत्र 868.71 लाख रूपये आगे बढ़ा दिया है, गत वर्ष 301.76 लाख रूपये है।)		**3,465,712,487**		**3,027,058,819**

अनुसूची - 6

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

	31 मार्च, 2009 को (रूपये)	31 मार्च, 2008 को (रूपये)
अर्जित ब्याज जो देय नहीं है		
- बैंक में जमा राशियों पर	76,215,927	41,052,187
- मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से-बैंकों में जमा राशियों पर (टिप्पणी संख्या 3 देखें)	117,402,095	141,862,617
- स्टाफ को दिए गए ऋणों एवं पेशगियों पर	1,472,642	1,973,789
परामर्श शुल्क ग्रहित किन्तु देय नहीं	12,338,657	14,742,183
	207,429,321	**199,630,776**

अनुसूची - 7

ऋण एवं पेशगियाँ

		31 मार्च, 2009 को (रूपये)		31 मार्च, 2008 को (रूपये)
ऋण : कर्मचारियों को				
- आरक्षित - असंदिग्ध समझे गए		2,370,299		1,807,950
- अनारक्षित - असंदिग्ध समझे गए		316,400		422,100
नकद अथवा अन्य रूप से अथवा प्राप्त की जाने वाली लागत के लिए वसूली योग्य पेशगियाँ (अनारक्षित अन्यथा विनिर्दिष्ट असंदिग्ध समझे गए) :				
क) कर्मचारी		563,446		650,320
ख) ग्राहकों की ओर से सप्लायरों / ठेकेदारों पर				
- असंदिग्ध समझे गए	335,261,870		370,843,669	
- संदिग्ध समझे गए	1,089,309		1,089,309	
	336,351,179		371,932,978	
धटाएं : संदिग्ध डेबिटों के लिए प्रावधान	1,089,309	335,261,870	1,089,309	370,843,669
ग) अन्य		9,349,971		6,113,605
ध) मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से सप्लायरों / ठेकेदारों पर (टिप्पणी संख्या 3 देखें)		99,499,469		92,583,140
ड) प्रतिवाद के तहत जमा आयकर		6,778,417		6,278,417
		454,139,872		**478,699,201**
टिप्पणियाँ :-				
- निदेशकों / विभाग प्रमुखों द्वारा देय राशि		140,449		327,537
- वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय		638,099		480,921

अनुसूची - 8

चालू देयताएँ

	31 मार्च, 2009 को (रूपये)	31 मार्च, 2008 को (रूपये)
विविध लेनदार	49,057,811	44,786,418
ग्राहकों से जमा / पेशगियाँ	446,471,856	513,713,594
बयाना जमा	33,532,858	40,447,158
अन्य देयताएँ	14,402,210	18,923,623
ग्राहकों की ओर से		
- विविध देनदार	454,623,052	474,719,518
- प्रतिधारण राशि	126,312,987	129,968,483
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से (टिप्पणी संख्या 3 और 4 देखें)		
- विविध देनदार	672,005,038	640,379,885
- जमा / अग्रिम	1,770,396,345	1,409,128,485
	3,566,802,157	**3,272,067,164**

अनुसूची - 9

प्रावधान

		31 मार्च, 2009 को (रूपये)		31 मार्च, 2008 को (रूपये)
आयकर हेतु प्रावधान	150,400,000		142,400,000	
धटाएं : अग्रिमं आयकर / टी डी एस	155,726,867	(5,326,867)	152,134,363	(9,734,363)
अन्य सुविधा कर हेतु प्रावधान	4,086,445		2,614,551	
धटायें : अन्य सुविधा कर का भुगतान	4,282,387	(195,942)	2,581,600	32,951
प्रस्तावित लाभांश		20,801,560		20,801,560
कॉरपोरेट लाभांश कर		3,535,225		3,535,225
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान		25,958,410		16,927,834
		44,772,386		**31,563,207**

अनुसूची - 10

अन्य आय

	2008 -09 (रूपये)	2007 -08 (रूपये)
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज (पूर्व अवधि से शून्य रुपये आय सहित ; गत वर्ष 1144927 रुपये) (कुल स्रोत पर कर कटौती 20576104 रुपये; गत वर्ष 23339251 रुपये)	120,656,405	114,885,513
स्टाफ ऋणों पर ब्याज	225,490	237,836
पुनः हिसाब में ली गयी देयताएँ / प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है	11,625,588	17,329,678
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	1,037,610	2,355,600
विविध आय	121,711	780,183
	133,666,804	**135,588,810**

अनुसूची - 11

कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित - लाभ

	2008 -09 (रूपये)	2007 -08 (रूपये)
वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन / पी आर पी एवं भत्ते (गत अवधि में 26733 रुपये की प्रोत्साहन राशि, गत वर्ष शून्य)	74,553,114	74,339,646
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	11,680,701	6,690,890
स्टाफ के आवास के लिए लीज रैंट (वसूली का निवल)	5,481,833	5,547,647
स्टाफ कल्याण (चिकित्सा एवं छुट्टी यात्रा सहायता सहित)	11,614,516	10,557,334
	103,330,164	**97,135,517**

अनुसूची - 12

प्रशासकीय एवं अन्य व्यय

		2008 -09 (रूपये)		2007 -08 (रूपये)
किराया		2,095,982		1,914,352
यात्रा एवं वाहन -				
- निदेशक गण (विदेश यात्रा के 195015 रुपये सहित, गत वर्ष 107181 रुपये)	702,736		360,214	
- अन्य (विदेश यात्रा के 190384 रुपये सहित, गत वर्ष 156328 रुपये) (पूर्व-अवधि हेतु 65747 रुपये सहित, गत वर्ष शून्य)	9,732,666	10,435,402	6,670,995	7,031,209
बीमा		338,653		786,838
विद्युत एवं ईंधन (पूर्व-अवधि हेतु शुन्य रूपये सहित, गत वर्ष 305300 रूपये)		2,411,024		2,541,625
प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री		5,373,889		4,543,280
पोस्टेज एवं टेलीग्राम		604,063		524,909
टेलीफोन एवं टेलेक्स (पूर्व-अवधि हेतु शून्य रूपये सहित, गत वर्ष 14441 रूपये)		1,704,760		1,928,625
वाहन रख-रखाव व्यय (रिकवरी का निवल)		168,873		334,430
वाहन किराया व्यय		3,369,556		3,701,942
विज्ञापन एवं प्रचार		212,514		396,163
व्यवसायिक प्रभार तथा प्रदत्त किया गया सेवा-शुल्क (पूर्व-अवधि हेतु 96875 रूपये सहित, गत वर्ष 50000 रूपये)		17,145,786		20,703,444
मरम्मत एवं रखरखाव (वसूली का निवल)				
- भवन	930,960		1,432,156	
- कार्यालय उपस्कर (गत अवधि में शून्य रुपये सहित, गत वर्ष 38700 रूपये)	1,063,714		1,123,885	
- अन्य	1,473,883	3,468,557	804,951	3,360,992
लेखा परीक्षकों का शुल्क		265,875		262,825
कारोबार उन्नति		2,367,778		2,967,866
अभिदान एवं सदस्यता शुल्क		116,405		194,487
विधिक व्यय		212,805		7,710
सूचना तकनीकी खर्चे (पूर्व-अवधि हेतु 340949 रूपये, गत वर्ष 27364 सहित)		1,496,566		526,443
भरती एवं प्रशिक्षण व्यय		1,184,481		1,510,896
चौकीदारी व्यय		1,491,971		1,637,474
विविध व्यय		575,195		801,850
संदिग्ध लेखों / अग्रिमों / शुल्कों के लिए प्रावधान		7,276,526		178,423
बट्टे खाते में डाले गये		503,445		14,766,882
हानि / (लाभ) पर बिक्री / परिसंम्पत्तियों की सेवानिवृत्ति (निवल)		35,866		714,907
		62,855,972		71,337,572

अनुसूची - 13

लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ

1. लेखा संबंधी परिकल्पना

लेखा विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनिवार्य लेखा मानकों तथा संगत प्रस्तुत शर्तों के अनुसार, स्वीकृत राजस्व तथा उनके आंकलन पर हिसाब में डाले गये खर्चों के आधार पर ऐतिहासिक लागत के अधीन तैयार किया गया है।

2. राजस्व मान्यता

क. परामर्श शुल्क

विभिन्न सेवाओं के बारे में परामर्श शुल्क की मान्यता संबंधी नीतियां निम्नानुसार हैं :-

(क) डिजाइन अभियांत्रिकी / शिक्षण / प्रशिक्षण / सूचना एवं तकनीकी पर

परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग- अलग चरणों में पूरे किए गए कार्यों / स्तरों के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए शुल्कों / बिलों के आधार पर दी जाती है।

(ख) प्रापण पर

(i) परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग-अलग चरणों में पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए बिलों / प्राप्त कि गये कार्यो/स्तरों के आधार पर दी जाती है।

(ii) परामर्श शुल्क ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ऐसी अवस्थाओं में मान्यता नहीं जाती है, परामर्श शल्क को आय में निम्नानुसार मान्यता दी जाती है :-

- आपूर्ति आदेश के कार्यादेश देने पर - कुल 70% शुल्क प्राप्त किया जाता है।

- बाकी का 30% शुल्क - उपस्कर प्राप्त होने / लग जाने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) निर्माण संविदाओं पर (परियोजना प्रबंधन)

परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौतों के अनुसार पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसुल किए गए कार्यों के आधार पर दी जाती है। जहां पूरे हुये कार्य को वर्ष भर नहीं आंका जाता, परामर्श शुल्क को आय में पूरे हुये कार्य को निर्धारित तकनीकी आधार पर आय में मान लिया जाता है।

ख. साधारण

(क) जहां परियोजना की लागत में संशोधन किया जाता है वहां परामर्श आय को उस लेखा वर्ष में संशोधित लागत में दिखाया जाता है।

(ख) यदि शुल्क के बदले संसाधन जुटाने में अग्रिम लिया गया हो तब वह समानुपातिक आधारों पर ग्राहकों के साथ हुए समझौता अनुसार मान्यता दी जाती है।

ग) यदि अग्रिम शुल्क, प्रथमावस्था भुगतान का भाग हो तब वह अगले भुगतान पर समझौते अनुसार ले लिया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

क) स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क, कर एवं प्रासंगिक खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर खातों में डाला गया है, जिसमें से मूल्यह्रास घटा दिया गया है।

ख) सेवा-निवृत्त परिसम्पत्तियों को बिक्री हेतु निवल प्रयोगात्मक मूल्य में मान लिया जाता है।

4. मूल्यह्रास

(क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 में, जिनकी लागत 5,000/- रुपये प्रति मद से अब तक यथा संशोधित अनुसूची - XIV में निर्धारित दरों एवं तरीके से लिखित मूल्य पद्धति पर दिया जाता है, सिवाय इनके कि (i) सॉफ्टवेयरों का अधिक - से - अधिक जीवनभर प्रयोग किया जाये इसके लिये सॉफ्टवेयर की ह्रासित-मूल्य लागत में खरीदने के तीसरे वर्ष के अन्दर उन्हें पूर्णतयाः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है, (ii) वर्ष में खरीदी गयी कम मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के मामले में प्रति वस्तु 5,000/- रुपये से कम राशि पर 100% मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

(ख) पट्टा भूमि का पट्टा अवधि के समय परिशोधन यथानुपात ढंग से किया जाता है।

(ग) लेखन सामग्री और पुस्तकालय की पुस्तकों को वर्ष के दौरान ही राजस्व से पूर्णतयाः प्रभार रहित कर दिया जाता है।

5. पूर्व अवधि मदें

पूर्व अवधि की 20,000/- रुपये प्रत्येक से अधिक की आय/व्यय को पूर्व वर्षों की पूर्व अवधि आय / व्यय मदें समझा जाता एवं यथोचित उल्लेख किया जाता है।

6. पूर्व-प्रदत्त व्यय

अनुवर्ती वर्षों से संबंधित 20,000/- रुपये तक के प्रत्येक व्यय को चालू वर्ष के व्यय से लिया गया है। 20,000/- रुपये से अधिक के खर्चों को पूर्व-प्रदत्त खर्च माना जाता है।

7. सेवानिवृत्ति हित-लाभ

(i) भविष्य निधि (Provident Fund)

कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कंपनी द्वारा नियमित अंशदान किया जाता है तथा उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है।

(ii) उपदान (Gratuity)

कंपनी ने एक उपदान न्यास निधि स्थापित की है जिसका काम-काज भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाया जा रहा है। उपदान में दी जाने वाली वार्षिक राशि का निर्धारण सामूहिक उपदान योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक मजदूरी बिल के प्रतिशत के रूप में वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

(iii) छुट्टी नकदीकरण (Leave Encashment)

छुट्टी नकदीकरण दायित्व उपलब्ध वास्तविक मूल्यांकन आधार पर वर्ष के अन्त में किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन उल्लेख संबंधित लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। विनिमय दर में बाद में आए उतार-चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को चाहे वो निपटारे पर हो चाहे अनुवाद पर लाभ-हानि को मानकीकृत लेखों में आंका जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों द्वारा अर्जित करने से संबंधित के अतिरिक्त, इस तरह के मामलों में परिसंपत्तियाँ से लगायी गई लागत से समाशोधित की जाती है।

9. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर वर्तमान राजस्व साल के दौरान हुए खर्चों पर जोकि पूँजीगत परिसंम्पत्ति परिणामों को दर्शाते हैं।

10. कराधान हेतु प्रावधान

चालु कर व्यवस्था को आयकर खर्चे में सम्मिलित किया जाता है तथा निवल को आस्थगित कर लेखों में बदल दिया जाता है।

चालु कर को आयकर अधिनियम, 1961 उपबंधों अनुसार गणना की जाती है।

आस्थगित कर आयकर को प्रभावित करके कर-योग्य आय तथा बुक-आय में समय निर्धारण करता है तथा कर दरों को तुलन पत्र की दिनांक से दूरदर्शिता के आधार पर अधिनियमित या स्थानापत्ति अधिनियमित लेखों में प्रयोग की ली जाती है।

11. लाभांश

वर्ष के लिए लाभांश का प्रावधान निदेशक मण्डल द्वारा किये गए प्रस्ताव के अनुसार किया गया है बशर्ते कि कम्पनी की आम सभा वार्षिक बैठक (AGM) में सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाए।

12. देयताएं / उपबंध जिनकी दीर्धकालीन आवश्यकता नहीं

चार वर्ष या उससे अधिक देयताओं / उपबंधों को तैयार कि गई दिनांक तक उन्हें तुलन पत्र से हटा दिया गया है। भविष्य में यदि या बाद में कोई दावा किया जाता है तो उन्हें वर्ष में भुगता दिया जाता है। कुल राशि को अन्य मुख्य खाते में दर्शाया गया है।

13. आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक किस्म की देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है लेकिन यदि ऐसा आवश्यक हो जाता है तो टिप्पणी लिखकर उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है।

अनुसूची - 14

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों से संलग्न टिप्पणियाँ जो उनका ही भाग हैं

1. आकस्मिक देयताएं जिनकी व्यवस्था नहीं की गयी :-

   (i) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं समझा गया - 1.83 लाख रुपये (गत वर्ष 1.83 लाख रुपये) ।

   (ii) स्टाफ की विवादित राशि का निपटारा ना होना - 9.12 लाख रूपये (गत वर्ष 6.09 लाख रुपये) ।

   (iii) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की ओर से बैंक द्वारा गांरटियां जारी की गई राशि - 107.28 लाख रूपये (गत वर्ष 80 लाख रूपये)।

   (iv) संविदाओं की अनुमानित राशि जोकि पूँजीगत लेखा में निष्पादित करना शेष है तथा जो लेखों में उपलब्ध नहीं हैं (अग्रिम का निवल) - शुन्य (गत वर्ष 0.93 लाख रूपये)।

   (v) विभिन्न ग्रहाकों के विरुद्ध जहाँ, सप्लायरों / ठेकेदारों द्वारा कोर्ट / विवाचन के कुछ मामलों में एच एस सी सी सह-प्रतिवादी है, कुल योग 3,999 लाख रूपये (भुगतान का निवल); (लगभग) (गत वर्ष 1,743 लाख रूपये)। इसलिये, इन मामलों में मैनेजमैंट किसी भी देयता या दायित्व को कम्पनी पर जबरदस्ती प्रभावी नहीं करती।

   (vi) लम्बित पड़े अपीलों के निपटारों के लिये आयकर के रूप में मांगे गये 14.90 लाख रूपये (गत वर्ष 393.29 लाख रूपये)।

2. इसमें कम्पनी को कार्यालय भवन हेतु नौएडा प्राधिकरण द्वारा 2683.07 स्कॉयर मीटर प्लॉट क्षेत्र के लिए 414.65 लाख रूपये की भूमि लागत भी शामिल है। संयुक्त रूप से 164.94 स्कॉयर मिटर की इस कम भूमि के संज्ञान में आने पर कम्पनी ने इस कम भूमि की 18.51 लाख रूपये की ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित अनुपातिक राशि की वापसी पाने के लिये नौएडा प्राधिकरण (NOIDA) के साथ किये गये लीज-डीड में आवश्यक संशोधन किया गया है। कम्पनी के स्वामित्व में इस कम भूमि हेतु, वर्ष के दौरान भूमि की 18.51 लाख रूपये की उल्लिखित राशि को अनुपातिक-राशि रूप में पूणःपूँजीगत कर लिया गया है। लीज-डीड में लम्बित संशोधन के मद्देनजर, इस भूमि की मूल राशि को मामले के निपटारे के अन्त तक लीज-हौल्ड भूमि को समानुपातिक रूप में परिशोधित कर लिया गया है।

3. ग्राहकों से प्राप्त धन को रखने के लिए किये गये करार के निबंधन एवं शर्तोनुसार अलग बैंक खातों (समग्र खातों) में रखा जाता है। इस तरह से किये गये समझौतों से विभिन्न परियोजनाओं में परामर्श सेवा करने से वर्ष के दौरान 14,300 लाख रुपये (गत वर्ष 9962 लाख रुपये) प्राप्त किये गये हैं। इस धनराशि को बैंकों में एक अलग खाते में रखा गया है और (टी डी एस का निवल) स्रोत पर कर कटौती पश्चात् निवल ब्याज की राशि संबंधित ग्राहकों के नामे खाते में गयी, जब समझौते विनिर्देश नहीं होते, तब ब्याज राशि को कम्पनी की आय मान लिया जाता है। इसके अलावा ग्राहकों की ओर से नामे व जमा शेष राशि संबंधित लेखा शीर्षों के तहत वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शायी गयी है।

   इसके अलावा, मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से 31.03.2009 तक बैंकों के पास पड़ी बकाया 868.71 लाख रूपये (गत वर्ष 301.76 लाख रुपये) राशि के लिये साख-पत्र स्थापित किया गया है।

4. माइक्रो, स्माल एवं मिडियम एन्टरप्राईजेज डेवलौप्मैंट एक्ट, 2006 के तहत, उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31.03.2009 तक ग्राहकों की ओर से, 251.72 लाख रूपये (गत वर्ष 247.43 लाख रूपये) की मूलधन के रूप में पहचान हो पायी है। फिर भी, वर्ष के दौरान इस पर कोई भी देय / देने योग्य / प्रोद्भूत ब्याज बकाया नहीं है।

5. मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अधिकतर पार्टियों के खातों में जमा राशियों और विभिन्न शेष राशियों, मुख्य विविध देनदारों, लोन एवं अग्रिम, विविध लेनदारों, जमा राशियों की पुष्टि शेष राशि निपटारा होने पर कर दी जाती है।

6. वितीय वर्ष 2004-05 के दौरान, कम्पनी को भुगतान किये गये परामर्श शुल्क राशि में से 50 लाख रूपये ग्राहक एम्स (AIIMS) ने अपने ट्राऊमा सेन्टर परियोजना के खाते से " अभिकथित न्यूनता " के तौर पर एकतरफा राशि के रूप में कटौती की गयी है। कम्पनी की इस विवादित 50 लाख रूपये की एकतरफा कटौती की अब तक कोई पूर्ति नहीं की है। इसलिये, कम्पनी के नामें खाते में यह राशि सुरक्षित पड़ी है जिसका निपटारा इस ठेके के पूरा होने पर कर लिया जायेगा।

7. ग्राहकों के कार्यों में विविध लेनदारों के क्लैम न किये गये खातों का निपटारा उन्हें स्थानातंरित करके संबंधित ग्राहक खातों के अनुसार उसी वर्ष उनसे निपटाये खातों के अनुसार समाशोधित कर लिये जाते हैं।

8. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याणार्थ अनुमोदित कर्मचारी चिकित्सा एवं कल्याण फण्ड ट्रस्ट में तद्अनुसार क्रमशः 20.70 लाख रूपये तथा 13.80 लाख रूपये (गत वर्ष प्रत्येक पर 13.30 लाख रूपये) का अंशदान किया है।

9. (क) लोक उधम विभाग (DPE) की निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2007 से कर्मचारियों के वेतननमान को संशोधित करके कार्यान्वित कर दिया गया है। वेतनमानों को गत वर्ष तक परिशोधित करके इनमें 300 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में, वर्ष के दौरान वास्तविक देयताओं का पता लगाकर 105 लाख रूपये की वापसी हेतु " आगे कोई देयता नहीं " के तहत अतिरिक्त प्रावधानों को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्तानुसार संशोधित वेतनमान को कार्यान्वित करने के लिये 120 लाख रूपये की देयता को वर्ष हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

(ख) कर्मचारियों को वर्ष में दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा उन्हें दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में 66.00 लाख रूपये (गत वर्ष 41.82 लाख रूपये) निर्वाहन संबंधित वेतनमान (Performance Related Pay – PRP) राशि को परिशोधित कर लिया गया है।

10. पूर्ण-कालिक प्रबंधकीय निदेशकों जैसे; अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (इंजीनियरिंग) को किया गया / देय पारिश्रमिक भुगतान निम्नलिखित है :-

विवरण (देय / देने योग्य)	2008-09 (लाख रूपये में)	2007-08 (लाख रूपये में)
वेतन एवं भत्ते	17.18	12.41
भविष्य निधि में अंशदान	1.74	1.40
मकान किराया (निवल)	4.21	4.20
चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत एवं परिलब्धियों पर कर	5.13	8.54
योग	**28.26**	**26.55**

उपरोक्त में शामिल करने से, वर्ष के दौरान संशोधित वेतनमान की 9.66 लाख रूपये (गत वर्ष 01.01.2007 से 31.03.2008 तक 8.86 लाख रूपये) बकाया राशि को लेखाकिंत कर लिया गया है।

उक्त पारिश्रमिक में उपदान योजना तथा सामूहिक बीमा योजनाओं एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 520/- रुपये प्रतिमाह की वसूली पर प्रतिमाह 1000 किलोमीटर तक की निजी यात्रा करने के लिए कंपनी की कार प्रदान की गयी है।

11. लेखा परीक्षकों का भुगतान

विवरण	2008-09 (लाख रूपये में)	2007-08 (लाख रूपये में)
लेखा परीक्षा शुल्क	2.00	2.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.50	0.50
दैनिक खर्चो के अतिरिक्त की प्रतिपूर्तियाँ	0.16	0.13
योग	**2.66**	**2.63**

12. बोर्ड निदेशकों के मतानुसार, 31.03.2009 से लागु चालू परिसंम्पत्तियों एवं ऋणों तथा अग्रिमों की राशि साधारण मानकाअनुसार कारोबार में कम से कम उक्त राशि दर्शायी गई तारिख के बराबर ही है जोकि तुलन पत्र के शूरू में वर्णित की गई थी।

13. संबंधित कार्यों में परियोजना लागत माध्यम तथा मैन-पावर के नियतन पद्यति नहीं है। अपितु , लाभप्रादक्ता पर इसका कोई संसाधन प्रभाव नहीं पड़ता।

14. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग - 2 के अनुच्छेद - (3) से (4 डी) तक के उपबंधों के अनुसार **अतिरिक्त सूचना** निम्नानुसार लागू सीमा तक ही दर्शायी गई हैं (क्योंकि कंपनी मूल रूप से परामर्शदायी सेवाएं ही प्रदान करती है) : -

विदेशी मुद्रा के संदर्भ में (मुद्रा दरों में परिवर्तनों सहित) की सूचना :

	2008-09 (लाख रूपये में)	2007-08 (लाख रूपये में)
विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय :		
- यात्रा	1.39	0.06
- सी. आई. एफ. आधार पर आयात लागत : पूँजीगत माल (ग्राहकों की ओर से)	849.64	225.99

15. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI- आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखा मानक - 7 के तहत, " ठेकों का निर्माण " प्रणाली का प्रकटन निम्नानुसार दिया गया है, जोकि कम्पनी की सिविल निर्माण कार्य परियोजनाओं से संबंधित है : -

		2008-09 (लाख रूपये में)	2007-08 (लाख रूपये में)
(क)	वर्ष के दौरान ग्राहकों की ओर से कुल लागत राशि प्राप्त की गई	9,750.07	15,287.33
(ख)	वर्ष के दौरान इसी तरह के ठेकों पर परामर्श शुल्क	1,440.97	891.06
(ग)	इस तरह के ठेकों पर मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से बकाया जमा / अग्रिम	12,288.55	6,786.25
(ध)	इस तरह के ठेकों पर बकाया प्रतिधारण राशि	1,504.07	923.25

16. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई - I C A I) जारी लेखा मानक - 15 " **कर्मचारियों के हित-लाभ** " में (परिशोधित - 2005) प्रणाली का प्रकटन इस प्रकार से है।

I. निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

(क) भविष्य-निधि (Provident Fund)

कम्पनी पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिये स्थायी अंशदान का भुगतान कर रही है जिसके लिये " **एच एस सी सी कर्मचारी भविष्य-निधि फण्ड ट्रस्ट** " नाम से अलग ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें फण्ड राशि को अनुमति-प्राप्त प्रतिभूतियों के रूप में निवेश किया जा रहा है। वर्ष में इस फण्ड को खर्चे के रूप में मानकर लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दे दी जाती है। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भविष्य-निधि फण्ड ट्रस्ट में अंशदान कर रहे सदस्यों को कम-से-कम ब्याज दर देना पड़ता है। ट्रस्ट में कमी या घाटे लिये, यदि कोई हो तो, इस तरह के कम से कम ब्याज दर के भुगतान का लेखा, कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा इसे लाभ - हानि खाता खर्चे में डाला दिया जाता है। वर्ष के दौरान, कम्पनी की ओर से भविष्य-निधि खाते में 37.05 लाख रूपये (गत वर्ष 35.25 लाख रूपये) नियोक्ता अंशदान के रूप में डाल दिया गया है तथा लाभ-हानि लेखा में इसे 0.36 लाख रूपये (गत वर्ष 1.60 लाख रूपये) की ब्याज राशि सहित दर्ज दिया गया है।

II. निर्धारित हित-लाभ योजना (Defined Benefit Plan)

(ख) उपदान (Gratuity)

कम्पनी में उपदान प्रतिपूर्ति हित-लाभ को परिभाषित कर रखा है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक का सेवा-काल पूरा कर लिया हो वह वर्ष में 15 दिन का वेतन-मान (बिमारी की छुट्टी 15 / 26 गुणा लिया गया अन्तिम वेतन, मंहगाई भत्ता) के आधार पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष जिसमें उसकी अधिवर्षिता (Superannuation), त्याग-पत्र (Resignation), समाप्ति (Termination) या उसकी विकलंगता या मृत्यु होने की दशा में उसे अधिकतम राशि 3.50 लाख रूपये मिलने का प्रावधान है। यह योजना " **एच एस सी सी कर्मचारी उपदान फण्ड ट्रस्ट** " के नाम से जानी जाती है जोकि कम्पनी के अलग से ट्रस्ट द्वारा वित्त-पोषित की जाती है, जोकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यवस्थिति है। जितनी राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देनी होती है उतनी राशि की गणना करके योजना की देयताओं का वास्तविक मूल्याकंन करके उन्हें वार्षिक आधार पर मानकर उसे मान्यता दे जाती है। तदनुसार, इस वर्ष कम्पनी की ओर से लाभ एवं हानि लेखा में 68.70 लाख रूपये (गत वर्ष 15.55 लाख रूपये) उपदान निधि के रूप में इस राशि का योगदान किया गया है।

(ग) सेवा-निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधा (Post – Retirement Medical Facility - P R M F)

कम्पनी द्वारा उपलब्ध नामिकागत किये गये अस्पतालों में सेवा-निवृत कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित पति-पत्नी के ईलाज के लिये सेवा-निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधा (पी आर एम एफ) योजना लागु है। यह योजना " **एच एस सी सी कर्मचारी चिकित्सा फण्ड ट्रस्ट** " जानी जाती है जोकि कम्पनी के ट्रस्ट द्वारा वित्त-पोषित की जाती है। इस अंशदान को भुगतान के आधार पर ट्रस्ट के लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दे जाती है। वर्ष के दौरान कम्पनी की ओर से ट्रस्ट के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 20.70 लाख रूपये (गत वर्ष 13.30 लाख रूपये) का योगदान दिया गया है जिसमें सतत कर्मचारियों की बिमारियों का खर्चा भी शामिल है।

(ड) छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत (Leave Travel Concession - L T C)

कम्पनी की ओर से कर्मचारियों तथा उन पर आश्रितों के लिये यात्रा भत्ता रियायत योजना है। यह योजना अ-निधि है एवं इसे मूल भुगतान आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दे जाती है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने लाभ एवं हानि लेखा में 13.24 लाख रूपये (गत वर्ष 14.07 लाख रूपये) छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत (Leave Travel Concession) के रूप में मान्यता दी है।

(ध) छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

कम्पनी ने छुट्टी प्रतिपूर्ति हित-लाभ को अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध-वेतन (बिमारी की छुट्टी) हेतु अनुपस्थिति के भुगतान के रूप में परिभाषित कर रखा है। यह योजना अ-निधि है तथा जिसे मूल भुगतान आधार पर परियोजना एकक क्रेडिट विधि को प्रयोग करके लाभ एवं हानि लेखे में वास्तविक मूल्याकंन करके वार्षिक आधार पर मान्यता दे जाती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त की गई राशि को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दे दी गई है।

घटकों का सारांश निम्नलिखित है :-

(i) आभार के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

		31.03.2009 (रूपये लाख में)	31.03.2008 (रूपये लाख में)
(क)	कार्यकाल की शुरूवात पर आभार का वर्तमान मूल्य	169.30	151.93
(ख)	लाभांश लागत	11.85	12.15
(ग)	वर्तमान सेवा लागत	49.59	33.23
(ध)	किया गया हित-लाभ भुगतान	(24.42)	(35.73)
(ड)	वास्तविक (प्राप्त) / आभार पर हानि	53.26	7.72
(न)	कार्यकाल के अन्त में आभार का वर्तमान मूल्य	259.58	169.30

(ii) लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किये गये खर्चे

		31.03.2009 (रूपये लाख में)	31.03.2008 (रूपये लाख में)
(क)	वर्तमान सेवा मूल्य	49.59	33.23
(ख)	लाभांश लागत	11.85	12.15
(ग)	वास्तविक (प्राप्त) निवल / कार्यकाल में दर्ज हानि	53.26	7.72
(ध)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किये गये खर्चे	114.70	53.10

(iii) देयताओं में संचलन को तुलन-पत्र में दर्ज किया गया

		31.03.2009 (रूपये लाख में)	31.03.2008 (रूपये लाख में)
(क)	अथ निवल देयता	169.30	151.93
(ख)	उपरोक्त खर्चे	114.70	53.10
(ग)	भुगतान किये गये हित-लाभ	(24.42)	(35.73)
(ध)	शेष निवल देयता	259.58	169.30

(iv) प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं जिनका वास्तविक मूल्यांकन निम्नलिखित किया गया है

		31.03.2009 (रूपये लाख में)	31.03.2008 (रूपये लाख में)
(क)	छूट दी गई दर (%)	7.00	8.00
(ख)	भविष्य में वेतन-वृद्धि (%)	4.50	5.50
(ग)	सेवा-निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

17. लेखा मानक - 17 के तहत प्रतिवेदन अंश :

कम्पनी का मुख्य कारोबार केवल परामर्श सेवा प्रदान करना है। इसके अनुसार, कम्पनी एकल प्राथमिक अंश का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी भारत में प्राथमिक परियोजनाओं को ग्रहण करती है, अतः यहां कोई प्रतिवेदित भौगोलिक अंश नहीं है।

18. लेखा मानक - 18 के तहत पार्टी से संबंधित प्रकटन :

संबंधित पार्टी लेन - देन में निम्नलिखित प्रावधान है :

(क) संबंधित पार्टियों का विवरण : -

	नाम	संबंध का प्रकार
(i)	श्री वी. सी. शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
(ii)	डा. एस. एन. पाल निदेशक (इंजीनियरिंग)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ख) संबंधित पार्टियों का संचालन :

(i) पारिश्रमिक खर्चों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (इंजीनियरिंग) को पारितोषिक के तौर पर 28.26 लाख रूपये (गत वर्ष 26.55 लाख रूपये) दिये गये प्रतिपूर्ति खर्चों का विवरण उपरोक्त वर्णित पैरा में उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्त में सम्मिलन से, वर्ष के दौरान संशोधित वेतनमान की 9.66 लाख रूपये (गत वर्ष 01.01.2007 से 31.03.2008 तक 8.86 लाख रूपये) बकाया राशि को लेखाकिंत कर लिया गया है।

19. लेखा मानक - 20 के तहत अर्जित प्रति शेयर (मौलिक एवं मिश्रित) : -

	ई. पी. एस. का परिकलन	2008-09	2007-08
क.	इक्विटी शेयर-धारकों को वर्ष हेतु आरोप्य निवल लाभ (रूपये लाख में)	969.93	836.42
ख.	वर्ष के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की तुलनात्मक औसत संख्या (वर्ष के दौरान 09.03.2009 तक जारी किये गये 80006 बोनस शेयर सहित)	240018	160012
ग.	मौलिक एवं मिश्रित प्रति शेयर उपार्जन (क) / (ख) (रूपये)	404	523
ध.	वर्ष 2007-08 में अर्जित प्रति शेयर का समाशोधन (जब तक आरक्षित में से बोनस शेयर जारी किये गये)	—	348
ड.	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	100	100

20. कम्पनी ने वर्ष के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी (लेखा मानक - 22) "वेतनमान पर कर हेतु लेखा प्रणाली" को अपनाया है, चालू वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा खातों में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों (निवल) का 52.63 लाख रूपये जोड़ दिया गया है।

कर को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व जो आस्थगित कर देयता में जोड़े गये, वे निम्नलिखित हैं : -

आस्थगित कर परिसंम्पत्तियों/ (देयताओं) का विवरण	01.04.2008 (से)	वर्ष 2008-09 (के लिए)	31.03.2009 (से)
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ			
- छुटटी प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान (भुगतान के आधार पर क्लेम किये जाने योग्य)	57.53	30.70	88.23
- संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों / शुल्कों हेतु प्रावधान (आयकर विधियों के तहत अनुमति नहीं)	6.73	21.70	28.43
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**64.26**	**52.40**	**116.66**
धटायें : **आस्थगित कर देयताएं**			
मूल्यह्वाय	22.33	(0.23)	22.10
कुल आस्थगित कर देयताएं	**22.33**	**(0.23)**	**22.10**
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (देयताएं)	**41.93**	**52.63**	**94.56**

21. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने स्थाई परिसम्पत्तियों की जांच के लिये एक स्वतन्त्र एजेन्सी से जांच करवाई है। विभिन्न प्रकार की चल परिसम्पत्तियों की जांच के बीच पाये गये भौतिक एवं बुक बैलेंस में आने वाली विसंगतियों की समीक्षा की जाती है एवं इस प्रकार की विसंगति के पाये जाने पर उन्हें " वस्तु निष्पादित नहीं की गई " आधार पर अन्तिम समीक्षा पश्चात् समाशोधित कर ली जाती है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य वर्ष के अन्त तक 1.46 लाख रूपये था।

22. जहां तक आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उनका फिर से ग्रुप बनाया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके। जब तक आवश्यकता होती है आंकड़ों को निकटतम राशि के एकदम समान रखा गया है।

23. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची - 6 के अनुसरण में तुलन-पत्र का अंश एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय की जानकारी

पंजीकरण विवरण

पंजीकरण सं.	15459
राज्य कोड	55
तुलन-पत्र तारीख	31.03.2009

वर्ष के दौरान ऊगाही गई पूंजी (राशि हजार रुपयों में)

सार्वजनिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
बोनस इश्यू	8000.6
प्राइवेट प्लेसमेंट	शुन्य

पूंजी संग्रहण एवं निधियों के उपयोग की स्थिति (राशि हजार रुपयों में)

कुल देयताएं	4,269,689
कुल परिसम्पत्तियां	4,269,689

निधियों का स्रोत (राशि हजार रुपयों में)

प्रदत्त पूंजी	24,002
आरक्षित एवं अधिशेष	634,113
आरक्षित ऋण	शून्य
अनारक्षित ऋण	शून्य

निधियों के प्रयोग (राशि हजार रुपयों में)

निवल स्थायी परिसंपत्तियां	67,546
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	9,457
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	581,112
निवेश	शून्य
विविध व्यय	शून्य
संचित हानियां	शून्य

कम्पनी का कार्य नि पादन (राशि हजार रुपयों में)

कारोबार एवं अन्य आय	327,306
कुल व्यय	174,005
कर पूर्व लाभ	153,301
कर पश्चात लाभ	96,993
प्रति शेयर अर्जित (रूपयों में)	404
लाभांश दर (%)	86.67

कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों के सामान्य नाम (राशि के अर्थ में)

मद कोड संख्या (आई टी सी कोड)	सेवा विवरण	सेवा विवरण
भारतीय व्यापार वर्गीकरण में उल्लेख नहीं	डिजाइन एवं अभियांत्रिकी	डिजायन एवं अभियांत्रिकी
- वही -	परियोजना प्रबंधन	परियोजना प्रबंधन
- वही -	प्रापण प्रबंधन	प्रापण प्रबंधन

अनुसूची 1 से 14 तक हस्ताक्षरकर्ता

यह तुलन-पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते ओ. पी. बागला एंड कं.
सनदी लेखाकार

(सी. ए. राकेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 87537

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11/08/2009

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

(वी. सी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डा. एस. एन. पाल)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)
एवं कम्पनी सचिव

एच एस सी सी (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)
(एक मिनी रत्न कम्पनी)

कॉरपोरेट कार्यालय :

ई–6(ए), सैक्टर – 1, नौएडा – 201 301
दूरभाष : 0120–2542436, 37, 38, 39, 40
फैक्स : 0120–2542447, 2533001
वेबसाईट : http://www.hsccltd.co.in